अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का विश्लेषण करता है ।

2.1 वर्ष 2018-19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव

तालिका 2.1 वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है और ***परिशिष्ट 2.1*** प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश प्रदान करता है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण आगे अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2018-19	**2019-20**		**2018-19**	**2019-20**
अनुभाग-अ : राजस्व खाता					
कर राजस्व	57,380.34	59,244.98	सामान्य सेवायें	54,364.06	56,186.29
कर-भिन्न राजस्व	18,603.01	15,714.16	सामाजिक सेवायें	65,686.92	68,313.23
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	41,852.35	36,049.14	आर्थिक सेवायें	46,722.12	51,985.51
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	20,037.32	29,105.53	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.09	0.07
योग अनुभाग-(अ) राजस्व प्राप्तियां	**1,37,873.02**	**1,40,113.81**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**1,66,773.19**	**1,76,485.10**
अनुभाग-ब: पूंजीगत खाता और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	**पूँजीगत परिव्यय**	**19,638.20**	**14,718.05**
			सामान्य सेवायें	588.26	463.42
			सामाजिक सेवायें	6,912.75	5,489.68
			आर्थिक सेवायें	12,137.19	8,764.95
ऋण और अग्रिमों की वसूलियां	15,158.41	15,669.75	संवितरित ऋण और अग्रिम	1,113.09	2,255.18
लोक ऋण प्राप्तियां*	37,846.82	46,173.72	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	16,914.80	20,032.69
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,70,527.88	1,93,165.05	लोक लेखा संवितरण#	1,60,570.22	1,79,741.07
प्रारंभिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	अंतिम रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**2,32,930.23**	**2,60,822.69**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,04,030.06**	**2,24,451.40**
सर्व योग (अ+ब)	**3,70,803.25**	**4,00,936.50**	**सर्व योग (अ+ब)**	**3,70,803.25**	**4,00,936.50**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर।

लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर दिखाई गई है।

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 1.63 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 3.25 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ स्व-कर भिन्न प्राप्तियाँ 15.53 प्रतिशत से कम हुई । ➢ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 13.87 प्रतिशत कम हुआ। ➢ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 45.26 प्रतिशत से बढ़ा।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 5.82 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.35 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.00 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 11.27 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सहायतार्थ अनुदान पर व्यय 22.22 प्रतिशत से कम हुआ।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 25.05 प्रतिशत से कम हुआ। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 21.22 प्रतिशत से कम हुआ। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 20.59 प्रतिशत से कम हुआ। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 27.78 प्रतिशत से कम हुआ।
ऋण एवं अग्रिम	➢ ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 102.61 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां 3.37 प्रतिशत से बढ़ी।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियाँ 22.00 प्रतिशत से बढ़ी । ➢ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 18.43 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियाँ 13.27 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ लोक लेखा संवितरण 11.94 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	➢ वर्ष 2019-20 के दौरान गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष ₹ 1,910.66 करोड़ (32.98 प्रतिशत) से बढ़ा।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2018-19 के साथ वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2019-20 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	बढ़त/कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	(-) 3,583.24
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,873.02	1,40,113.81	2240.79
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	0.29
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	15,158.41	15,669.75	511.34
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	20,932.02	26,141.04	5,209.02
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	9,957.66	13,423.98	3,466.32
	योग	**1,93,318.23**	**2,01,162.75**	**7,844.52**
उपयोग	राजस्व व्यय	1,66,773.19	1,76,485.10	9,711.91
	पूंजीगत व्यय	19,638.20	14,718.05	(-) 4,920.15
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	1,113.09	2,255.19	1,142.10
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	1,910.66
	योग	**1,93,318.23**	**2,01,162.75**	**7,844.52**

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.1: संसाधनों का संयोजन

(प्रतिशत में)

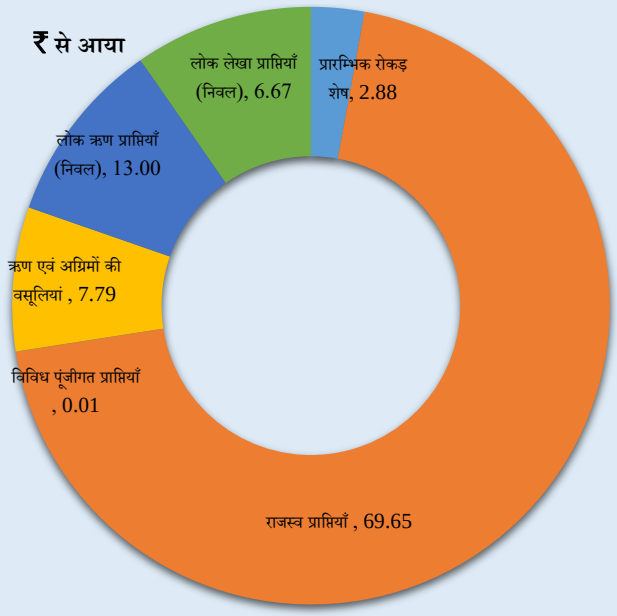

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग

(प्रतिशत में)

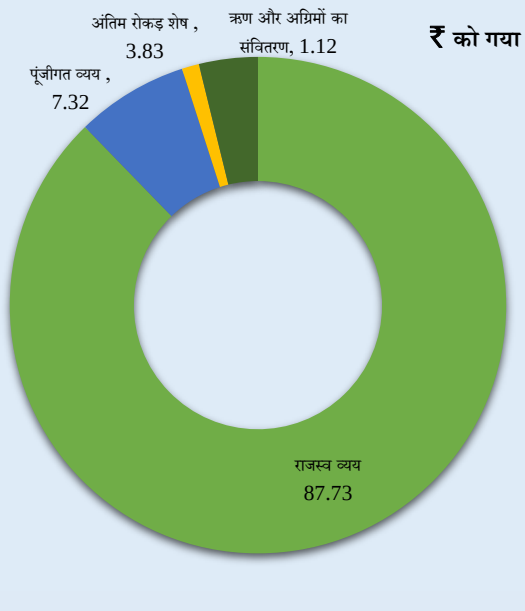

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश और भारत सरकार (भास) से सहायतार्थ-अनुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल है ।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: ये कुछ व्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं।

इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद उपलब्ध शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक

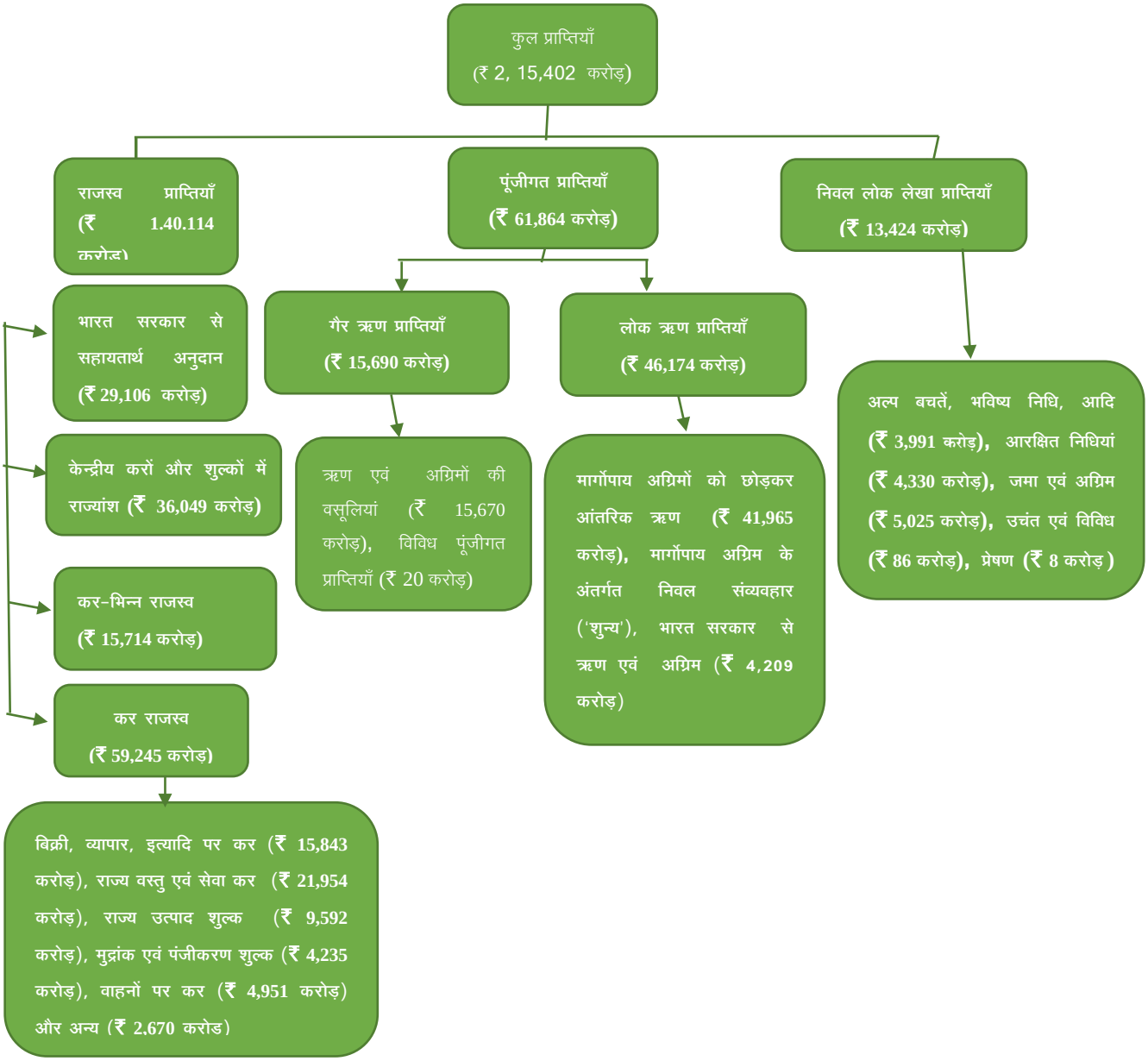

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृतियां देता है। आगे यह प्राप्तियों की प्रवृति को भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2015-20 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृतियां और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**1,00,285**	**1,09,026**	**1,27,307**	**1,37,873**	**1,40,114**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.8	8.7	16.8	8.3	1.6
स्व-कर राजस्व	42,713	44,372	50,605	57,380	59,245
कर-भिन्न राजस्व	10,928	11,615	15,734	18,603	15,714
स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	**53,641**	**55,987**	**66,339**	**75,983**	**74,959**
स्व-प्राप्तियों की वृद्धि दर (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	3.35	4.37	18.49	14.54	(-)1.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (**₹** करोड़ में) (**2011-12** श्रृंखला)	6,81,482	7,60,750	8,35,170$^{\Sigma}$	9,42,586$^{£}$	10,20,989$^{\#}$
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.7	11.6	9.8	12.9	8.3
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.7	14.3	15.2	14.6	13.7
उत्प्लावकता अनुपात[1]					
जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.9	0.8	1.7	0.6	0.2
राज्य की जीएसडीपी के सन्दर्भ में स्व-राजस्व उत्प्लावकता	0.3	0.4	1.9	1.1	(-) 0.2

जीएसडीपी के आंकड़ों के स्रोतः आर्थिक समीक्षा (2019-20), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

$^{\Sigma}$ संशोधित अनुमान- III

£ संशोधित अनुमान-I

$^{\#}$ अग्रिम अनुमान

1. उत्प्लावकता अनुपात, आधार अनुपात में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या डिग्री की अस्थिरता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ

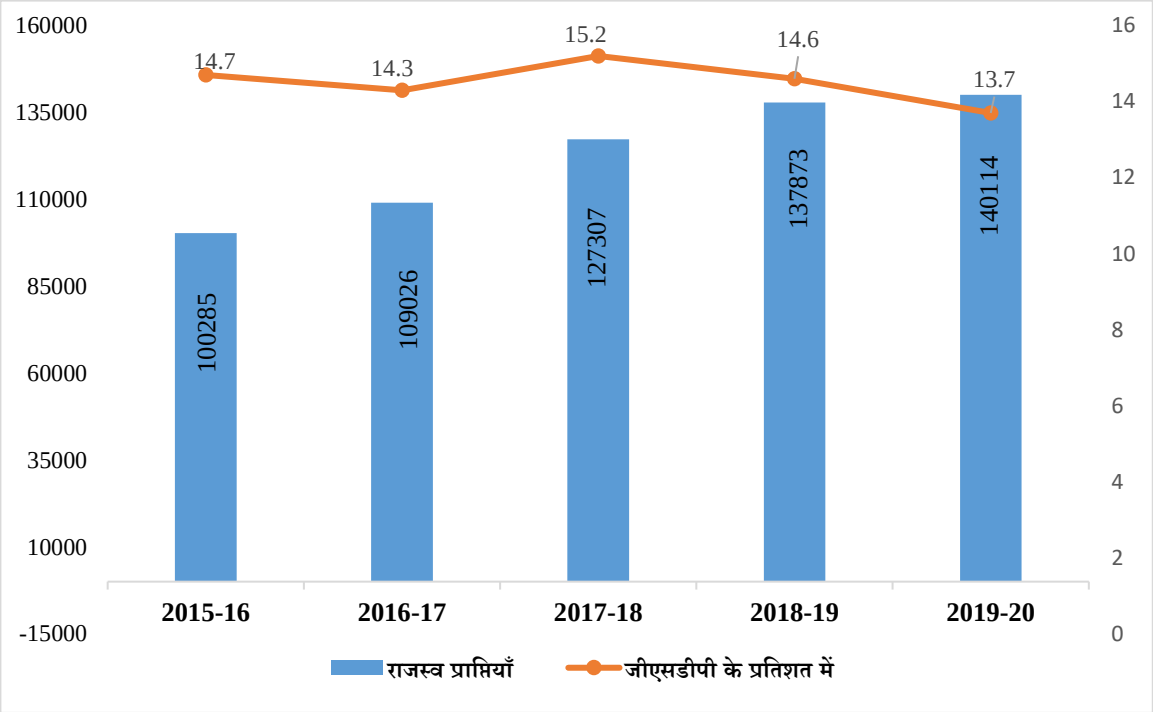

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

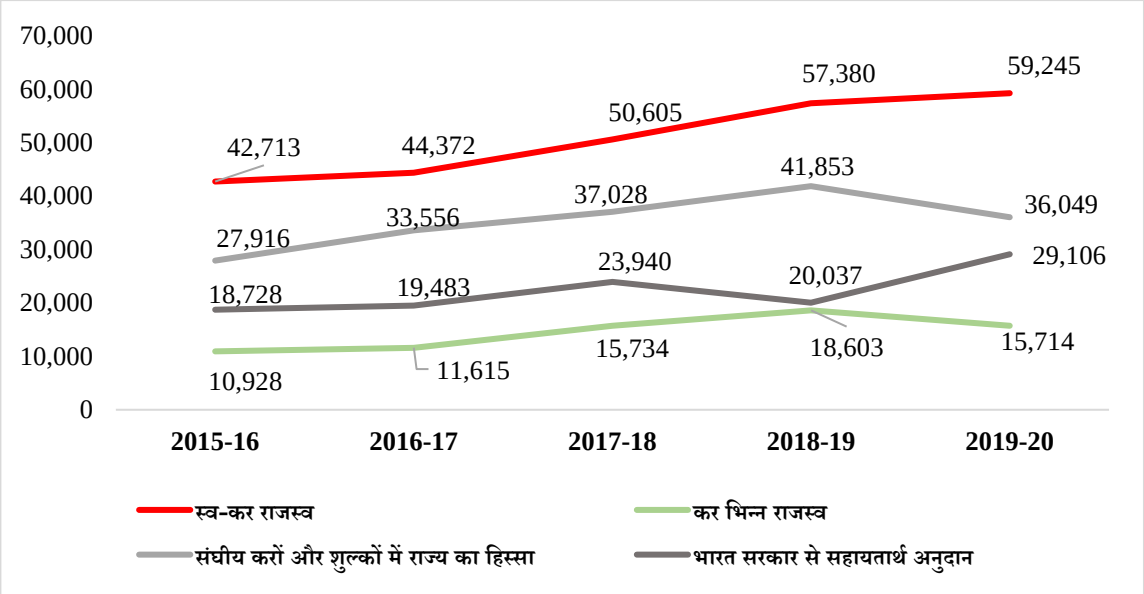

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृतियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियां 8.72 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285 करोड़ से 39.72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,241 करोड़ (1.63 प्रतिशत)

की वृद्धि हुई, जबकि कर-भिन्न राजस्व में ₹ 2,889 करोड़ की कमी के कारण स्व-राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,024 करोड़ (1.35 प्रतिशत) की मामूली कमी हुई।

- जुलाई 2019 (₹ 14,189 करोड़) और मार्च 2020 (₹ 16,347 करोड़) की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ सम्पूर्ण वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 21.8 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53.5 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया था, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का 46.5 प्रतिशत योगदान था, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान राजस्थान की राजकोषीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव रखते हैं।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में 5.82 प्रतिशत (₹ 9,712 करोड़) की वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 1.63 प्रतिशत (₹ 2,241 करोड़) से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी जिससे गत वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।
- जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता और स्व-राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव थे। तथापि, राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.6 थी, लेकिन संबंधित वर्ष में प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत रहने के कारण यह वर्ष 2019-20 में 0.2 रह गयी।
- जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2018-19 में 14.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 13.7 प्रतिशत रह गया।

2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता से निर्धारित होती है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें इसके स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों के राजस्व सम्मिलित हों।

स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में कर जैसे कि राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं।

चार्ट 2.6: वर्ष 2015-20 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

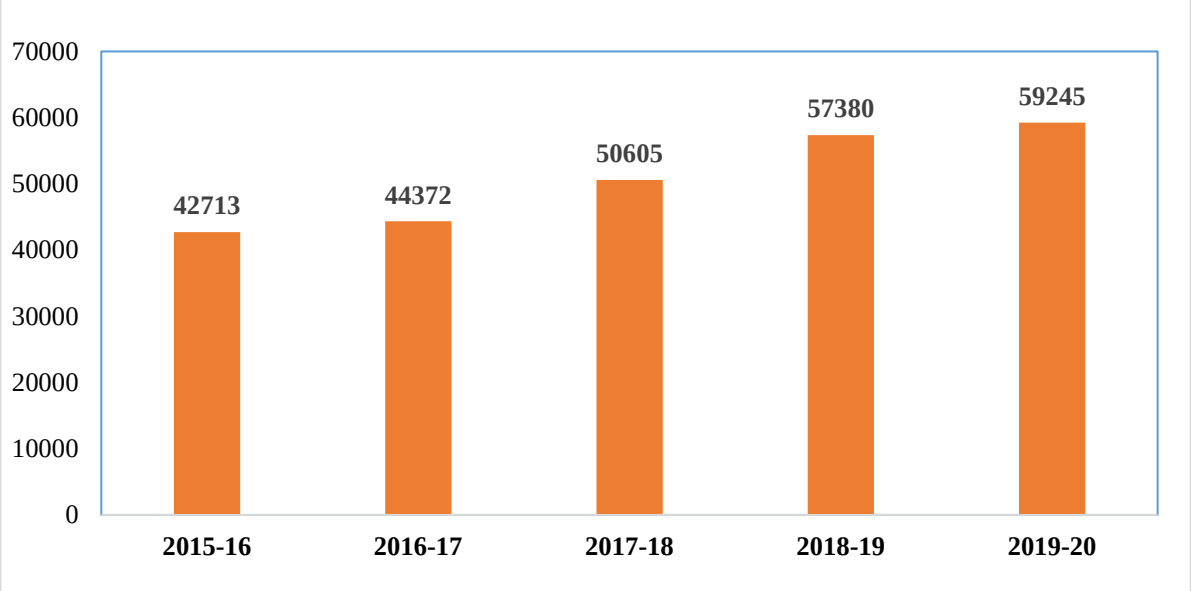

वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित किए गए स्व-कर राजस्व के घटक-वार विवरण निम्नानुसार रहे ।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345	28,558	19,008	14,791	15,843	
माल एवं यात्री कर	848	803	341	51	41	
मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	171	220	64	5	01	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	12,137*	22,938*	21,954*	
योग	**27,364**	**29,581**	**31,550**	**37,785**	**37,839**	
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713	7,054	7,276	8,694	9,592	
वाहनों पर कर	3,199	3,623	4,363	4,576	4,951	
मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	3,234	3,053	3,675	3,886	4,235	
भू-राजस्व	272	315	364	290	364	
अन्य कर[2]	1,931	746	3,377	2,149	2,264	
कुल योग	**42,713**	**44,372**	**50,605**	**57,380**	**59,245**	

* अप्रमाणित आंकड़े

स्रोतः वित्त लेखे

2. अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,921 करोड़, ₹ 738 करोड़, ₹ 3,376 करोड़, ₹ 2,148 करोड़ एवं ₹ 2,263 करोड़ की प्राप्तियां शामिल हैं।

राज्य का स्व-कर राजस्व 8.52 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2015-16 में ₹ 42,713 करोड़ से ₹ 16,532 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 59,245 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंशदाता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (37.06 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (26.74 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (16.19 प्रतिशत) रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण तथा भू-राजस्व में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.3 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत, 9.0 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार जीएसटी लागू होने के कारण राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर मानते हुए पांच वर्ष के लिए करेगी। तदनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुए राजस्थान के लिए वर्ष 2019-20 हेतु ₹ 28,980.23 करोड़ राजस्व निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 28,980.23 करोड़ के आंकलित राजस्व की तुलना में राज्य का जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह वर्ष 2018-19 में ₹ 22,938.33 करोड़ की तुलना में ₹ 984.16 करोड़ (4.29 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए ₹ 21,954.17 करोड़ (आईजीएसटी[3] से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 13.26 करोड़ को शामिल करते हए) था। वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटी के तहत राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 32,183.68 करोड़ रही जिसमें एसजीएसटी संग्रह तथा राज्यों को नियत किये गए सीजीएसटी[4] का निवल आगम शामिल था जबकि राज्य को राज्यों को नियत किये गए आईजीएसटी के निवल आगमों का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार, जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि की केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक जीएसटी राजस्व की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा/प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य को वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 4,034.53 करोड़ (गत वर्ष से संबंधित ₹ 405 करोड़ को छोड़कर) की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह की पूरी प्रक्रिया को जीएसटीएन आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। जीएसटीएन के पेन-इंडिया आंकड़ों तक पहुँच उपलब्ध कराने का भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी सिस्टम तक

3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर।
4. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर।

पहुँच उपलब्ध कराने की प्रशासनिक कार्यवाही नवम्बर 2020 में शुरू की गयी तथा दिसम्बर 2020 तक पहुँच उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2019-20 के लेखों को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसाकि तब किया जा रहा था जब अभिलेखों को मानवीकृत रखा जा रहा था, जीएसटीएन आंकड़ों तक पहुँच सुनिश्चित करने के भारत सरकार के निर्णय का पूर्ण कार्यान्वयन लंबित है।

इसके कारण, जीएसटी रिफंड की लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई कुछ भौतिक प्रतियों पर केवल सीमित लेखापरीक्षा जाँच ही की जा सकी। इसलिए, वर्ष की जीएसटी प्राप्तियाँ अप्रमाणित रह गईं एवं केंद्र सरकार से प्राप्त हुई क्षतिपूर्ति अनंतिम है।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को इंगित करता है और बकाया निर्धारण संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलम्ब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 23,926.61 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,343.89 करोड़ पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2020 को पांच वर्ष से अधिक बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	21,330.59	21,820.33	(+) 2.30	2,822.05
2	परिवहन	63.10	64.14	(+) 1.65	37.45
3	भू-राजस्व	258.19	179.69	(-) 30.40	80.02
4	पंजीकरण और मुद्रांक	494.72	1,339.42	(+) 170.74	119.15
5	राज्य उत्पाद शुल्क	194.52	201.58	(+) 3.63	193.55
6	खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम	240.04	321.45	(+) 33.91	91.67
कुल		**22,581.16**	**23,926.61**	**(+) 5.96**	**3,343.89**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

जिन स्तरों पर बकाया संग्रह के लिए लम्बित थे, से सम्बन्धित सूचना (मार्च 2021) उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

बकाया निर्धारण

वाणिज्यिक कर, पंजीकरण एवं मुद्रांक, खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम और परिवहन विभागों द्वारा वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराये गये लंबित मामले, मूल्यांकन के कारण बनने वाले मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया हैं।

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर	39	5,30,677	5,30,716	5,30,698	18	99.99
पंजीकरण एवं मुद्रांक	4,980	8,691	13,671	8,549	5,122	62.53
खान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम	5,581	11,627	17,208	8,409	8,799	48.87
परिवहन	1,938	22,236	24,174	22,637	1,537	93.64

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, पंजीकरण और मुद्रांक, खान, भूविज्ञान तथा पेट्रोलियम और परिवहन विभागों में मामलों का निपटान बहुत कम था। ये विभाग मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,वर्ष 2019-20 के दौरान कर चोरी के 285 मामले देखे गए एवं 234 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामलों सहित वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाए गए 1,862 मामलों में दंड आदि के साथ राशि ₹ 5,123.79 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 1,316 मामलों में 66.29 प्रतिशत निपटान के साथ ₹ 4,311.41 करोड़ वसूल किये। खान एवं भू-विज्ञान विभाग में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाए गए 15 मामलों में दंड आदि के साथ राशि ₹ 52.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 10 मामलों में ₹ 2.74 करोड़ वसूल किये। लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, पंजीकरण एवं मुद्रांक विभागों ने अवगत कराया कि कर चोरी के किसी भी मामले का पता नहीं चला है (नवंबर 2020)। इससे ज्ञात होता है कि इन विभागों के पास खुफिया सूचना एकत्र करने तथा आगतों के रिसाव पर रोक लगाने के लिए एक उचित तंत्र का अभाव था, जैसाकि इन विभागों में राजस्व के रिसाव से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ जैसे बिना आज्ञा वाहनों का परिचालन, अवैध खनन, आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं होना, मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण और शराब एवं अन्य दवाओं का अवैध परिवहन आदि।

तालिका 2.7: कर चोरी का पता लगाया गया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया मामले	वर्ष 2019-20 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण कर ली गई और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2020 को अन्तिमीकरण लिए बकाया मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	68	285	353	234	190.41	119
खान एवं भू-विज्ञान	0	87	87	80	0.87	7

रिफंड के मामलों का बकाया रहना

विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 की प्रारंभ में लंबित रिफंड के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2019-20 के अंत में लंबित बताये गए मामलों को **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: रिफंड के मामलों का लंबित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीकरण एवं मुद्रांक		परिवहन		खनन, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	181	103.42	974	5.27	412	1.98	17	2.17
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5930	412.64	1937	13.96	537	2.78	10	0.78
3	वर्ष के दौरान रिफंड	3135	203.03	1861	9.22	367	2.08	4	0.25
4	वर्ष के दौरान निरस्त	1686	182.51	63	0.07	28	0.11	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1290	130.52	987	9.94	554	2.57	23	2.70

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

प्रगति से पता चलता है कि विभाग धन वापसी के प्रकरणों को संख्यात्मक रूप से पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और साथ ही सभी करों की लंबित राशि बढ़ गयी है। संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा, बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान से भी बच सकती है।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	1,982	1,933	4,859	5,791	3,852	
पेट्रोलियम से राजस्व[5]	2,342	2,332	2,579	3,883	3,320	
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,782	4,234	4,522	5,302	4,579	
लाभांश तथा लाभ	97	68	67	56	55	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2,725	3,048	3,707	3,571	3,908	
योग	**10,928**	**11,615**	**15,734**	**18,603**	**15,714**	

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक था। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹ 15,714 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत (₹ 2,889 करोड़) की कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 1,939 करोड़ (33.5 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म में ₹ 723 करोड़ (13.6 प्रतिशत) और कच्चे तेल पर रायल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 563 करोड़ (14.5 प्रतिशत) की उल्लेखनीय राजस्व कमी के कारण हुई।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की । तेरहवें के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग की अवधि को शामिल करते हुए 10 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृति नीचे तालिका में दी गई है।

5. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से राजस्व।

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण में प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय करो में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	केंद्र से हस्तांतरण
1	2	3	4 = (2+3)
2010-11	12,856	6,020	18,876
2011-12	14,977	7,482	22,459
2012-13	17,103	7,174	24,277
2013-14	18,673	8,745	27,418
2014-15	19,817	19,608	39,425
2015-16	27,916	18,728	46,644
2016-17	33,556	19,483	53,039
2017-18	37,028	23,940	60,968
2018-19	41,853	20,037	61,890
2019-20	36,049	29,106	65,155

स्रोतः वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2010-11 में ₹ 18,876 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 65,155 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि केंद्र से अनुदान में वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण में प्रवृतियाँ

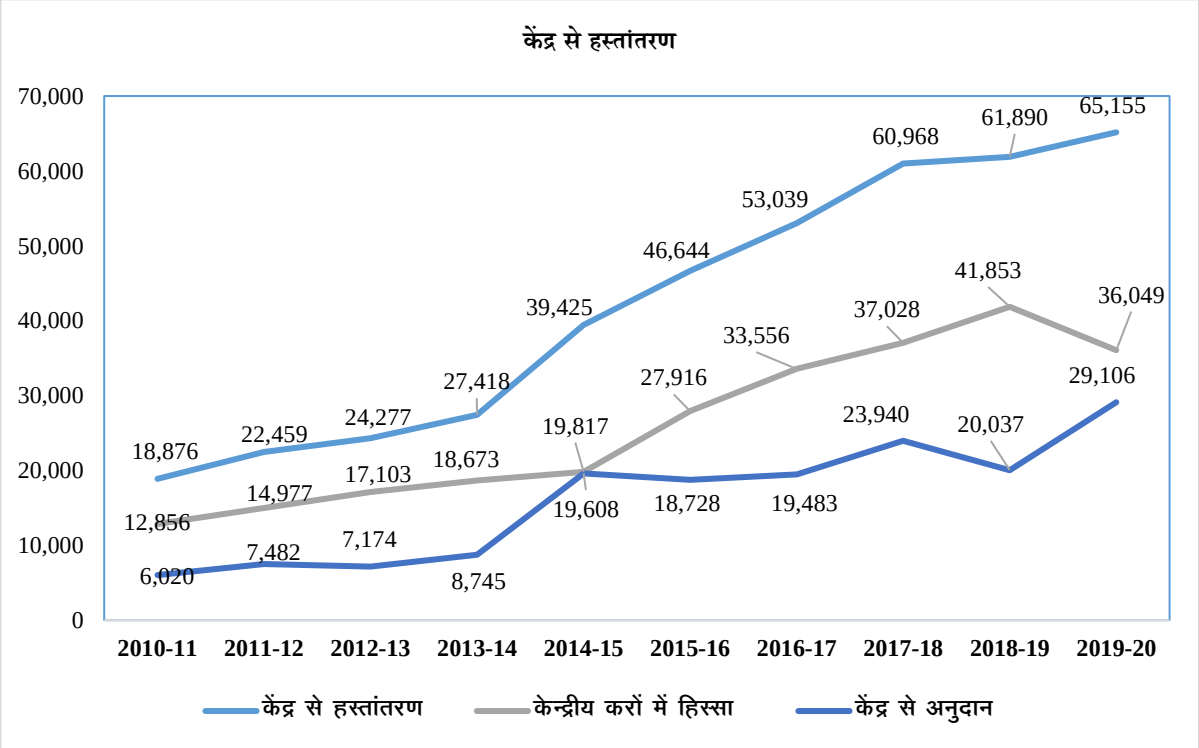

केंद्रीय कर हस्तांतरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों के 32 प्रतिशत हिस्से (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के घटकों को **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सीमा शुल्क	4,464	4,620	3,735	2,966	2,285
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	3,731	5,275	3,905	1,971	1,589
सेवा कर	4,864	5,433	4,227	389	-
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	-	520	10,329	10,229
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	3,736	824	-
निगम कर	8,760	10,739	11,334	14,553	12,291
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,073	7,464	9,571	10,718	9,631
धन कर	2	25	-[6]	5	1
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	22	-[7]	-[8]	22	23
अन्य	-	-	-	76	-
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**27,916**	**33,556**	**37,028**	**41,853**	**36,049**
गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	40.9	20.2	10.3	13.0	(-)13.9
राजस्व प्राप्तियों से केन्द्रीय करों की प्रतिशतता	27.8	30.8	29.1	30.4	25.7

पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2015-20 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2015-16 के ₹ 27,916 करोड़ से 29.13 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 36,049 करोड़ हो गया, यह राजस्व प्राप्तियों का 26 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 36,049 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 13.9 प्रतिशत (₹ 5,804 करोड़) की कमीं मुख्यतः निगम कर में ₹ 2,262 करोड़ (15.5 प्रतिशत), निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹ 1,087 करोड़ (10.1 प्रतिशत), एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) में ₹ 824 करोड़ (100 प्रतिशत) और सीमा शुल्क में ₹ 681 करोड़ (23.0 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई।

6. ₹ (-) 0.34 करोड़।
7. ₹ 0.09 करोड़।
8. ₹ (-) 0.01 करोड़।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान **तालिका 2.12** में वर्णित है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजना-भिन्न अनुदान*	5,241	5,928	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान*	12,957	13,462	-	-	-
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)*	530	93	-	-	-
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें	-	-	16,104	13,317	14,966
वित्त आयोग अनुदान	-	-	4,262	3,121	7,332
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	3,574	3,599	6,808
योग	**18,728**	**19,483**	**23,940**	**20,037**	**29,106**
गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	(-) 4.5	4.0	22.9	(-) 16.3	45.3
राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान का प्रतिशत	18.7	17.9	18.8	14.5	20.8

स्रोतः वित्त लेखे।

* योजना के नामकरण के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं और वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजना भिन्न अनुदान को हटा दिया गया, और उनके स्थान पर सीएसएस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,069 करोड़ (45 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 3,681 करोड़ (270.3 प्रतिशत), जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति ₹ 2,263 करोड़ (104.0 प्रतिशत), राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के लिए ₹ 1,423 करोड़ (270.5 प्रतिशत) और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹ 482 करोड़ (60.1 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 21 प्रतिशत था। राज्य को वर्ष के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 14,966 करोड़) कुल अनुदान का 51 प्रतिशत था। अन्य अनुदानों में स्थानीय निकाय और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए वित्त आयोग अनुदान (₹ 7,332 करोड़) जो कुल अनुदान का 25 प्रतिशत था, जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति और अनुदान (₹ 4,440 करोड़) और एनडीआरएफ के लिए अनुदान (₹ 1,950 करोड़) शामिल हैं।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग (चौविआ) ने 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ पांच-वर्ष की अवधि (2015-20) के लिए अपना प्रतिवेदन दिसंबर 2014 में प्रस्तुत किया । चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2015-2020 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को सहायतार्थ अनुदान राशि ₹ 24,240.75 करोड़ (एसडीआरएफ के राज्यांश सहित) का आवंटन किया।

सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की (जनवरी 2016)। वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान, उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति ने न तो कोई बैठक आयोजित की और न ही सहायतार्थ अनुदान के उपयोग का मूल्यांकन किया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (नवम्बर 2020) कि वर्ष 2019-20 के दौरान अपरिहार्य कारणों से बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2015-20 के दौरान, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित सहायतार्थ अनुदान की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और अंतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	हस्तांतरण	वर्ष 2015-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंषा	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंषा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			रास द्वारा जारी		
			2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग (कॉलम 9 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्थानीय निकाय										
	(i) पीआरआई को अनुदान	**13,633.63**	**9,502.74**	**4,130.89**	**13,633.63**	**7,797.05**	**5,043.12**	**12,840.17**	**7,797.05**	**5,043.12**	**12,840.17 (100)**
	(a) सामान्य मूल अनुदान	*12,270.27*	*8,589.26*	*3,681.01*	*12,270.27*	*7,227.15*	*5,043.12*	*12,270.27*	*7,227.15*	*5,043.12*	*12,270.27 (100)*
	(b) सामान्य निष्पादन अनुदान	*1,363.36*	*913.48*	*449.88*	*1,363.36*	*569.90*	-	*569.90*	*569.90*	-	*569.90 (100)*
	(ii) **शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान**	**4,513.12**	**3,132.15**	**1,380.97**	**4,513.12**	**2,704.38**	**1,283.43**	**3,987.81**	**2,704.38**	**1,283.43**	**3,987.81 (100)**
	(a) सामान्य मूल अनुदान	*3,610.50*	*2,527.38*	*1,083.12*	*3,610.50*	*2,527.38*	*1,083.13*	*3,610.51*	*2,527.38*	*1,083.13*	*3,610.51 (100)*
	(b) सामान्य निष्पादन अनुदान	*902.62*	*604.77*	*297.85*	*902.62*	*177.00*	*200.30*	*377.30*	*177.00*	*200.30*	*377.30 (100)*
	योग (1)	**18,146.75**	**12,634.89**	**5,511.86**	**18,146.75**	**10,501.43**	**6,326.55**	**16,827.98**	**10,501.43**	**6,326.55**	**16,827.98 (100)**
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	**6,094.00**	**4,754.00**	**1,340.00**	**6,094.00**	**4,754.00**	**1,340.00**	**6,094.00**	**4,658.22**	**1,435.78**	**6094.00 (100)**
	महा योग (1 से 2)	**24,240.75**	**17,388.89**	**6,851.86**	**24,240.75**	**15,255.43**	**7,666.55**	**22,921.98**	**15,159.65**	**7,762.33**	**22,921.98 (100)**

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं राज्य के वित्त लेखे।

* कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।

स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) को अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी (अक्टूबर 2015) किए। दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 11 से 13 में परिकल्पित है कि अनिवार्य शर्तों अर्थात (i) प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ो के साथ विश्वसनीय लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना, और (ii) स्थानीय निकायों द्वारा अपने राजस्व के स्रोतों में सुधार की पूर्ति के बाद ही ग्रामीण स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान लिए स्वीकार्य है।

यह देखा गया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 343.58 करोड़ और ₹ 449.88 करोड़ का सामान्य निष्पादन अनुदान सितंबर 2020 तक भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अनिवार्य शर्तों से सम्बंधित सूचना भारत सरकार को क्रमशः 20.06.2019 तथा 20.03.2020 को प्रेषित कर दी गई थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए निष्पादन अनुदान जारी नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं किया गया था (मार्च 2021)।

इसी तरह, चौदहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 200.30 करोड़, ₹ 227.47 करोड़ और ₹ 297.85 करोड़ के सामान्य निष्पादन अनुदान की सिफारिश की। तथापि, भास द्वारा केवल वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान वर्ष 2019-20 में जारी किया जबकि वर्ष 2018-20 के लिए अनुदान सितम्बर 2020 तक जारी नहीं किया था। वर्ष 2018-20 के लिए निष्पादन अनुदान जारी नहीं करने के और वर्ष 2017-18 के लिए देरी से जारी करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (मार्च 2021)।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आतंरिक स्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से अग्रिम शामिल है । निवल पूंजीगत प्राप्तियाँ लोक ऋण के निर्वहन के बाद शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियां और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां हैं।

निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**57,511**	**40,615**	**32,033**	**36,110**	**41,831**
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25	28	16	20	20
ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	1,447	1,713	15,134	15,158	15,670
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	56,039	38,874	16,883	20,932	26,141
आंतरिक ऋण	54,815	35,993	15,959	19,068	22,766
वृद्धि दर	325.09	(-) 34.34	(-) 55.66	19.48	19.39
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,224	2,881	924	1,864	3,375
वृद्धि दर	327.97	135.38	(-) 67.93	101.73	81.07

ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	325.15	-30.63	-56.57	23.98	24.89
गैरऋण पूंजी-गत प्राप्तियों की वृद्धि दर	44.46	18.27	770.19	0.18	3.37
जीएसडीपी की वृद्धि दर	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	305.01	(-) 29.38	(-) 21.13	12.73	15.84

स्रोतः वित्त लेखे और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा।

पूँजीगत प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 36,110 करोड़ से वर्ष 2019-20 में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 41,831 करोड़ हो गयी। वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ 54 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 37 प्रतिशत कर्जो तथा अग्रिमों की वसूलियों से आयी।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केंद्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संन्दर्भ में किया गया जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग एवं बजट अनुमानों में किये गये आंकलन को **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				बजट अनुमान	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन
स्व-कर राजस्व	1,04,964	73,743	59,245	(-) 19.66	(-) 43.56
कर-भिन्न राजस्व	26,665	19,124	15,714	(-) 17.83	(-) 41.07

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियां क्रमशः 43.56 प्रतिशत (₹ 45,719 करोड़) तथा 41.07 प्रतिशत (₹ 10,951 करोड़) कम थी जबकि बजट अनुमानों से क्रमशः 19.66 प्रतिशत तथा 17.83 प्रतिशत की कमी राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा संसाधनों का उपयोग राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में रहना चाहिए, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य के जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है। यह अनुच्छेद उप-अनुच्छेदों के साथ राज्य में व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.4.1 व्यय का संयोजन एवं वृद्धि

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2015-20) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृतियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा इसका संयोजन

(₹ करोड़ में)

मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
पूंजीगत व्यय	21,986	16,980	20,623	19,638	14,718
ऋण एवं अग्रिम	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.2	20.6	20.1	19.9	18.9
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	15.6	16.7	17.4	17.7	17.3
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.2	2.2	2.5	2.1	1.4
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	5.4	1.7	0.2	0.1	0.2

स्रोतः वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 1,64,827 करोड़ से 17 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,93,458 करोड़ था। वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष से 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवधि 2015-20 के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 18.9 प्रतिशत से 24.2 प्रतिशत के मध्य रहा।

चार्ट 2.8: कुल व्ययः इसके घटकों के अंश की प्रवर्तियाँ

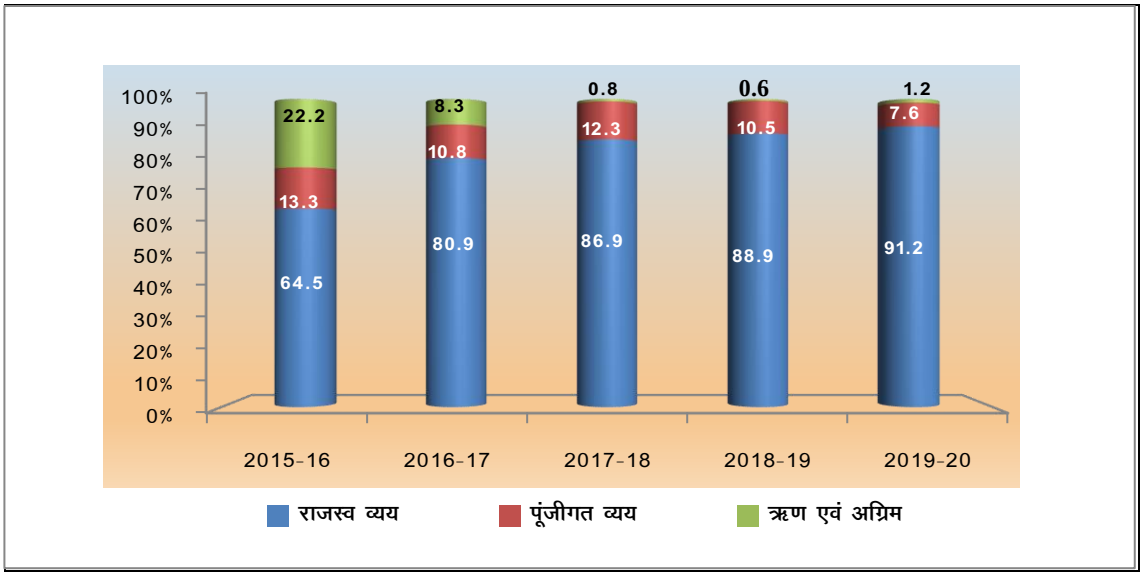

स्रोतः वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त **चार्ट** और **तालिका 2.17** से स्पष्ट है, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका अंश जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2015-16 में 3.2 प्रतिशत से घटकर

2019-20 में 1.4 प्रतिशत हो गया है। इस कमी को इस तथ्य के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूंजीगत व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 21,986 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 14,718 करोड़ रह गया।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष घटक

(प्रतिशत में)

मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवायें	19.1	25.2	26.2	29.3	29.3
सामाजिक सेवायें	29.9	35.4	35.9	38.7	38.1
आर्थिक सेवायें	28.8	31.1	37.1	31.4	31.4
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22.2	8.3	0.8	0.6	1.2

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में कमी मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सफाई, शहरी विकास और अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

चार्ट 2.9: कुल व्यय-गतिविधि वार व्यय

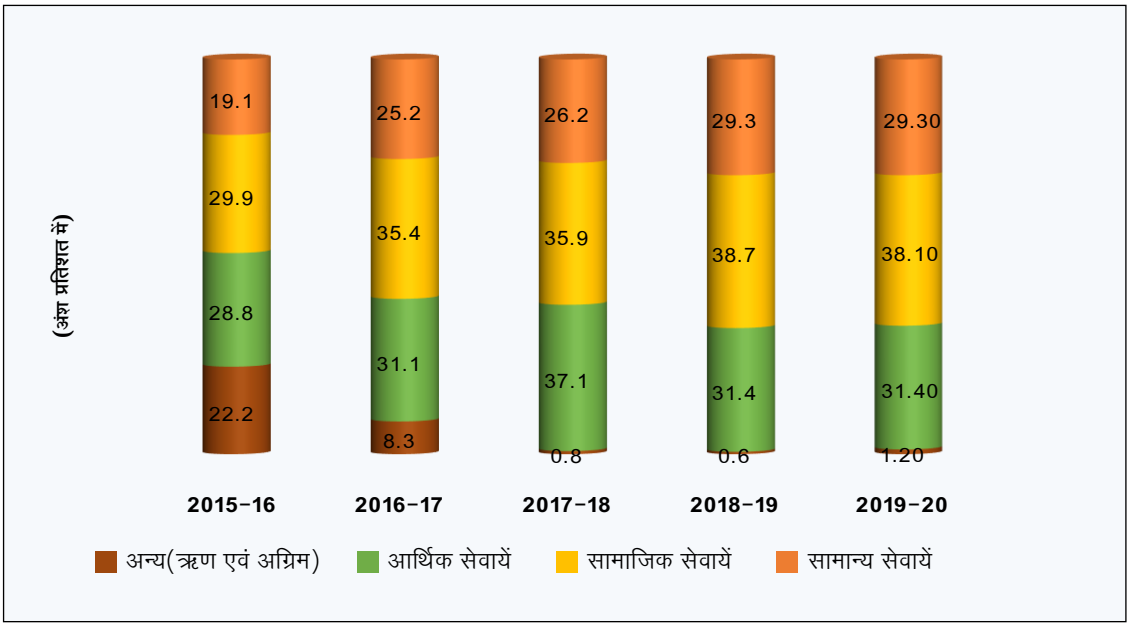

चार्ट 2.10: व्यय का संयोजन

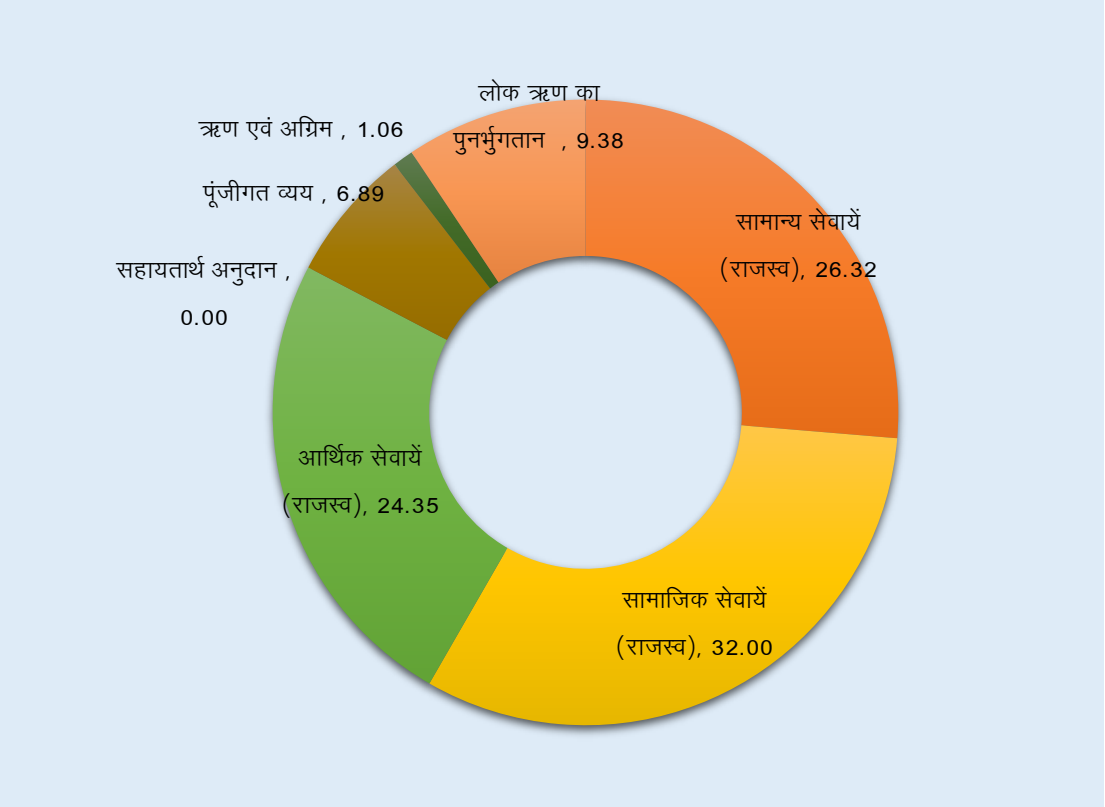

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसी कारण यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय–आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.4	19.7	14.7	14.4	5.8
राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	64.5	80.9	86.9	88.9	91.2
राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	15.6	16.7	17.5	17.7	17.3
राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	105.9	116.6	114.6	121.0	126.0
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता-के साथ					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.2	1.7	1.5	1.1	0.7
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.3	2.3	0.9	1.7	3.6

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.2 प्रतिशत था। यह वर्ष 2015-16 के ₹ 1,06,239 करोड़ से 13.53 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,76,485 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत (₹ 9,712 करोड़) की वृद्धि हुई।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

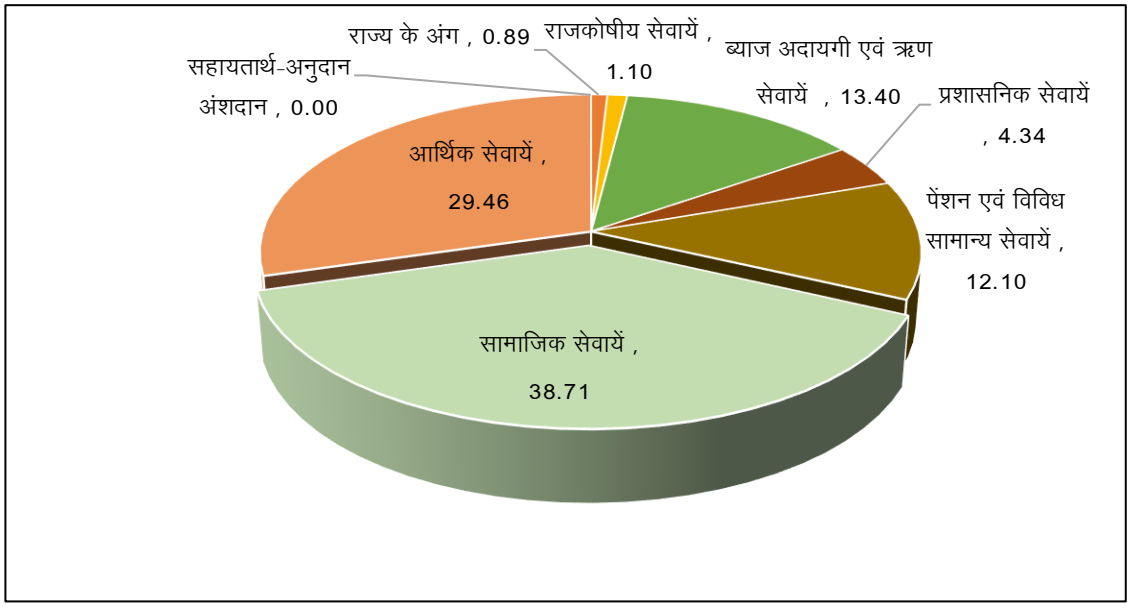

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में लेखे के विभिन्न शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,993.11	8,195.48	2,202.37
2049- ब्याज अदायगी	21,695.20	23,643.27	1,948.07
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,155.20	7,807.53	1,652.33
2801- बिजली	21,203.73	22,734.43	1,530.70
2425- सहकारिता	3,727.80	5,158.98	1,431.18
3054- सड़क तथा सेतु	1,242.21	2,102.55	860.34
2211- परिवार कल्याण	2,803.39	3,402.36	598.97
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,054.00	2,609.47	555.47
2202- सामान्य शिक्षा	34,158.69	33,145.84	(-) 1,012.85
3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	1,283.87	693.40	(-) 590.47

स्रोतः वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान सामान्य शिक्षा और जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान और भामाशाह योजना पर व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार की विकास गतिविधियों के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं। **तालिका 2.20** वर्ष 2015-20 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृति को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	25,871	30,016	37,611	49,790	49,066
पेंशन पर व्यय	10,864	12,296	13,925	20,396	20,761
ब्याज अदायगी	12,008	17,677	19,720	21,695	23,643
योग	**48,743**	**59,989**	**71,256**	**91,881**	**93,470**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	25.80	27.53	29.54	36.11	35.02
पेंशन पर व्यय	10.83	11.28	10.94	14.80	14.82
ब्याज अदायगी	11.97	16.21	15.49	15.74	16.87
योग	**48.60**	**55.02**	**55.97**	**66.65**	**66.71**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	24.35	23.61	25.79	29.85	27.80
पेंशन पर व्यय	10.23	9.67	9.55	12.23	11.76
ब्याज अदायगी	11.30	13.90	13.52	13.01	13.40
योग	**45.88**	**47.18**	**48.86**	**55.09**	**52.96**

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश

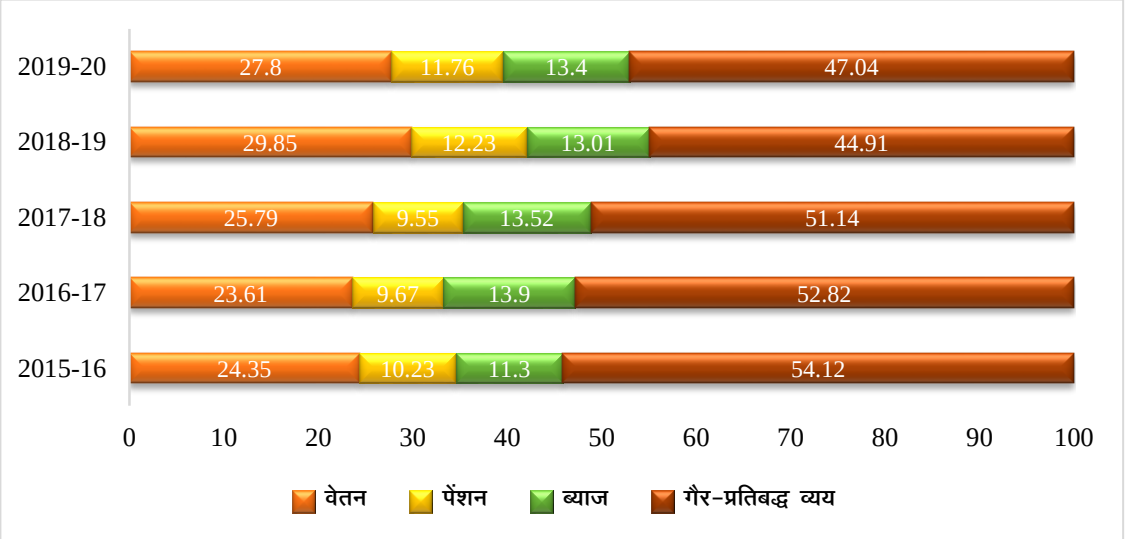

प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2015-16 के 45.88 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 55.09 प्रतिशत हो गया, लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर 52.96 प्रतिशत रह गया। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी वर्ष 2015-16 में 48.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 66.71 प्रतिशत हो गया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2015-16 के ₹ 25,871 करोड़ से 17.35 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 49,066 करोड़ हो गया । वर्ष 2019-20 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 1.45 प्रतिशत की मामूली कमी रही । यह मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) (₹ 55,785 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा किए गए आंकलन से ₹ 6,719 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2015-16 में ₹10,864 करोड़ से 17.57 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 20,761 करोड़[9] हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय पेंशनरों की कुल संख्या[10] में 17,635 (4.3 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 1.8 प्रतिशत बढ़ा । राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 11.8 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 में 12.2 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट आंकलनों तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए आंकलन की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय **तालिका 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.21: चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन और राज्य के अनुमानों के सापेक्ष पेंशन भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में किये गए अनुमान	वास्तविक
2019-20	14,556	22,580	20,761

तालिका यह दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2019-20 के लिए किए गए अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के भीतर था। तथापि, यह वर्ष के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन की तुलना में ₹ 6,205 करोड़ अधिक था।

9. इसमें 31 दिसम्बर 2003 को या इससे पहले भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हित लाभ के पेटे वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹18,806 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 1,954.81 करोड़ शामिल है।

10. पेंशनरों की संख्या 2018-19: 4,13,296 एवं 2019-20: 4,30,931

ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायागियाँ वर्ष 2015-16 के ₹ 12,008 करोड़ से 18.46 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 23,643 करोड़ हो गई। ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष (₹ 21,695 करोड़) की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान (₹ 23,643 करोड़) 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 31,592 करोड़ एवं अल्प बचतों, राज्य भविष्य निधि, आदि में ₹ 3,991 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष 2019-20 के लिए 16.9 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (15.7 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक रही।

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन और राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के संदर्भ में ब्याज अदायगियों को **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22: चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन और राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज अदायगियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में अनुमान	वास्तविक
2019-20	19,928	23,133	23,643

तालिका दर्शाती है कि ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एमटीएफपीएस और बजट में किए गए अपने अनुमानों के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन से अधिक रही।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुन्मुक्त दायित्व

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना अनिवार्य है और समान अंशदान सरकार द्वारा दिया जाना है। कर्मचारियों के अंशदान को नियोक्ता के समान अंशदान के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा नियुक्त नामित पेंशन निधि में जमा करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रारूपित किए गए एनपीएस आर्किटेक्चर को हु-बहू अंगीकृत किया है तथा एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट के साथ क्रमशः 09 नवंबर 2010 एवं 02 दिसंबर 2010 को समझौता किया। अंशदान विवरण और अनुरूप राशियां नवंबर 2011 से एनएसडीएल और ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित की जा रही हैं। नवम्बर 2011 से पहले, कर्मचारियों के पेंशन खाते के अंशदान और सरकार के समान अंशदान (खाते के सम्बंधित वेतन शीर्ष से) को लिगेसी राशि के रूप में वर्ष 2011-12 तक संबंधित कोषालय अधिकारियों द्वारा बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खाते में जमा किया जा रहा था।

निदेशालय, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.23: एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तांतरित की गई कुल राशि	अहस्तांतरित लीगेसी राशि	बकाया लीगेसी राशि पर ब्याज	हस्तांतरित की जाने वाली शेष लीगेसी राशि
31/10/2011तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43
2019-20	46.43	10.14	36.29	7.65	43.94

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2020 को, लिगेसी राशि के पेटे ₹ 43.94 करोड़ शेष राशि हस्तांतरण के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, यह पाया गया कि जावक और आवक प्रविष्टियों के मिलान नहीं होने के कारण पाँच जिला कोषागार कार्यालयों[11] में राशि ₹ 0.57 करोड़ के ऋणात्मक शेष थे।

नवंबर 2011 से, राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सेवा (ए आई एस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 और अन्य सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। कर्मचारियों के अंशदान को इन शीर्षों में हस्तांतरित किया जा रहा है तथा सरकार के अंशदान को एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट को आगे हस्तांतरण के लिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रेल 2012 से मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक, ₹ 127.21 करोड़ की राशि (₹ 43.94 करोड़ लीगेसी राशि के रूप में, ₹ 82.92 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के अहस्तांतरित अंशदान और ₹ 0.35 करोड़ एआईएस अधिकारियों के अहस्तांतरित अंशदान) एनएसडीएल में हस्तांतरण के लिए लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज देयता थी। इसके अलावा, नियोक्ता के

11. अलवर: ₹ 0.38 लाख, दौसा: ₹ 7.26 लाख, कोटा: ₹ 29.78 लाख, सवाई माधोपुर: ₹ 15.93 लाख तथा चुरू: ₹ 3.64 लाख।

अनुकूल सह-अंशदान ₹ 83.27 करोड़ (₹ 82.92 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और ₹ 0.35 करोड़ एआईएस अधिकारियों के लिए) का कम हस्तांतरण था, जो राज्य सरकार का दायित्व है।

2.4.2.4 अर्थ-सहाय्य

एक कल्याणकारी राज्य में, समाज के साधनहीन वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान किया जाता है। विगत पांच वर्षों के लिए अर्थ-सहाय्य और राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) एवं राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशत के रूप अर्थ-सहाय्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.24: वर्ष 2015-20 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अर्थ-सहाय्य	10,461	17,208	23,674	21,540	18,990
अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	10.43 **(1,00,285)**	15.78 **(1,09,026)**	18.60 **(1,27,307)**	15.62 **(1,37,873)**	13.55 **(1,40,114)**
अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	9.85 **(1,06,239)**	13.53 **(1,27,140)**	16.23 **(1,45,842)**	12.92 **(1,66,773)**	10.76 **(1,76,485)**
अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	175.70 **(5,954)**	95.00 **(18,114)**	127.73 **(18,535)**	74.53 **(28,900)**	52.21 **(36,371)**
सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	10,186	16,842	23,391	21,204	18,644
विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	97.4	97.9	98.8	98.4	98.2

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य

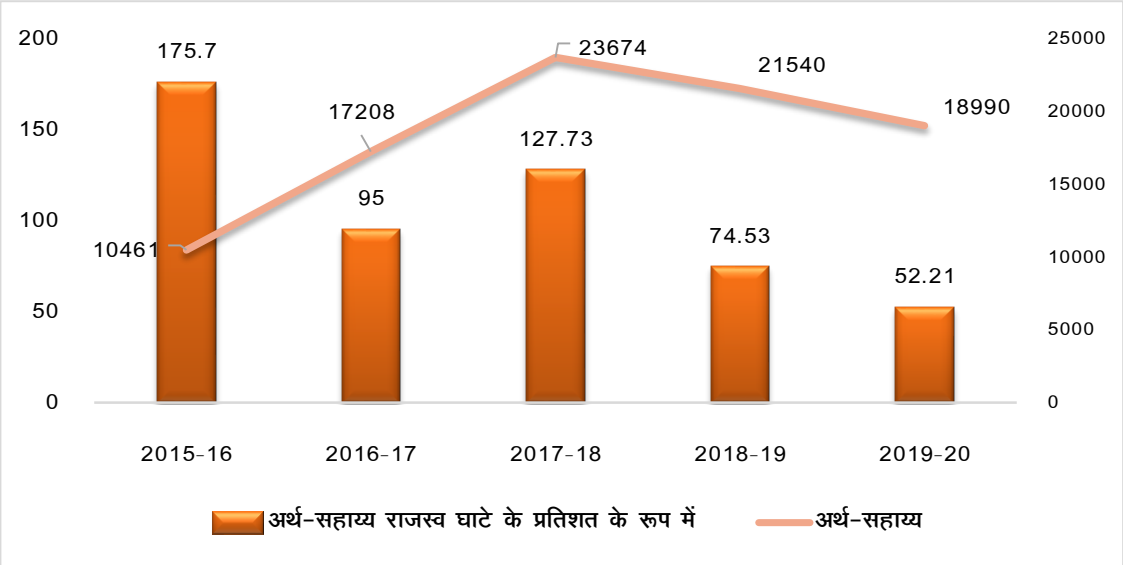

यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 18,990 करोड़) गत वर्ष (₹ 21,540 करोड़) की तुलना में 11.84 प्रतिशत कम रहा, यह वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का 10.76 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.55 प्रतिशत था। राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य

दर्शाता है कि राजस्व घाटे में अर्थ-सहाय्य का योगदान कितना है। 100 से अधिक प्रतिशतता यह दर्शाती है कि यह केवल वर्ष के दौरान अर्थसहाय्य प्रदान करने के कारण है, जिससे राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है। जबकि वर्ष 2015-16 में अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे का 175.70 प्रतिशत था, यह वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटे का 52.21 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 के 74.53 प्रतिशत से कम था।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य का सबसे वृहत घटक विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य था जो कुल अर्थ-सहाय्य का 98.2 प्रतिशत (₹ 18,644 करोड़) था । वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य मुख्यतः उदय योजना[12] के अंतर्गत वितरण कंपनियों को सहायता (₹ 9,726.06 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु अनुदान (₹ 7,384.00 करोड़) और विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,482.81 करोड़) प्रदान की गई थी। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य के 97.4 प्रतिशत से 98.8 प्रतिशत के मध्य रही।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹18,644.02 करोड़) गत वर्ष (₹ 21,203.73 करोड़) की तुलना में 12.07 प्रतिशत (₹ 2,560 करोड़) कम हुई, जो मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों को सहायता के रूप में ₹ 2,273.94 करोड़ की कमी के कारण हुई।

अर्थ-सहाय्य का दूसरा सबसे बड़ा घटक फसल कृषि कर्म (₹ 215 करोड़) था। हालांकि, फसल कृषि कर्म को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2018-19 में ₹ 301.20 करोड़ से 28.74 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2019-20 में ₹ 214.64 करोड़ रह गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अर्थ-सहाय्य वर्ष 2018-19 में ₹ 15.92 करोड़ से 552 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 103.82 करोड़ हो गई।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 41,024.82 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । वर्ष 2019-20 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता, मुख्यतः सरकारी कंपनियों को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में 17.68 प्रतिशत (₹ 34,862.21 करोड़) बढ़ी। इसके अलावा, वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय की 21 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2015-20 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान और ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.25** में दिया गया है।

12. उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ।

तालिका 2.25: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,063.89	3,839.93	3,695.48	3,811.13	3,781.24
पंचायती राज संस्थाएं	15,981.85	14,472.66	18,550.27	14,834.25	15,270.45
योग (अ)	**19,045.74**	**18,312.59**	**22,245.75**	**18,645.38**	**19,051.69**
(ब) अन्य					
शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविधालय, इत्यादि)	1,239.54	1,671.13	1,283.29	1,452.88	1,487.70
विकास अभिकरण	6.19	7.61	11.68	13.65	12.41
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	116.62	77.41	918.96	1,241.07	898.43
अन्य संस्थान	11,316.72	12,823.46	10525.42	13,509.23	19,574.59[13]
योग (ब)	**12,679.07**	**14,579.61**	**12,739.35**	**16,216.83**	**21,973.13**
योग (अ+ब)	**31,724.81**	**32,892.20**	**34,985.10**	**34,862.21**	**41,024.82**
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	30	26	24	21	23

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान, वित्तीय सहायता मुख्यतः चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य मूल अनुदान (₹ 5,039.78 करोड़), कृषि ऋण माफी योजना (₹ 4,245.09 करोड़), उदय के तहत सहायता (₹ 4,090.11 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 2,345.67 करोड़), प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जिला परिषदों को (₹ 2,279.24 करोड़), पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान के लिए (₹ 1,980.81 करोड़), नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए विशेष अनुदान (₹ 1,897.41 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,896.28 करोड़) और फसल बीमा योजना (₹ 1,034.95 करोड़) को दी गई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत सम्पतियों के सृजन जैसे सड़क, भवन आदि पर होने वाला व्यय है।

13. इसमें मुख्यतः (i) सहकारी संस्थानोंः ₹ 5,292.60 करोड़ ; (ii) सरकारी कम्पनियोंः ₹ 4,458.89 करोड़; (iii) परिवार कल्याणः ₹ 2,510.64 करोड़; (iv) शिक्षाः ₹ 2,035 करोड़; (v) फसल कृषि कर्मः ₹ 1,350.06 करोड़; और (vi) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहतः ₹ 1,078.57 करोड़ के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

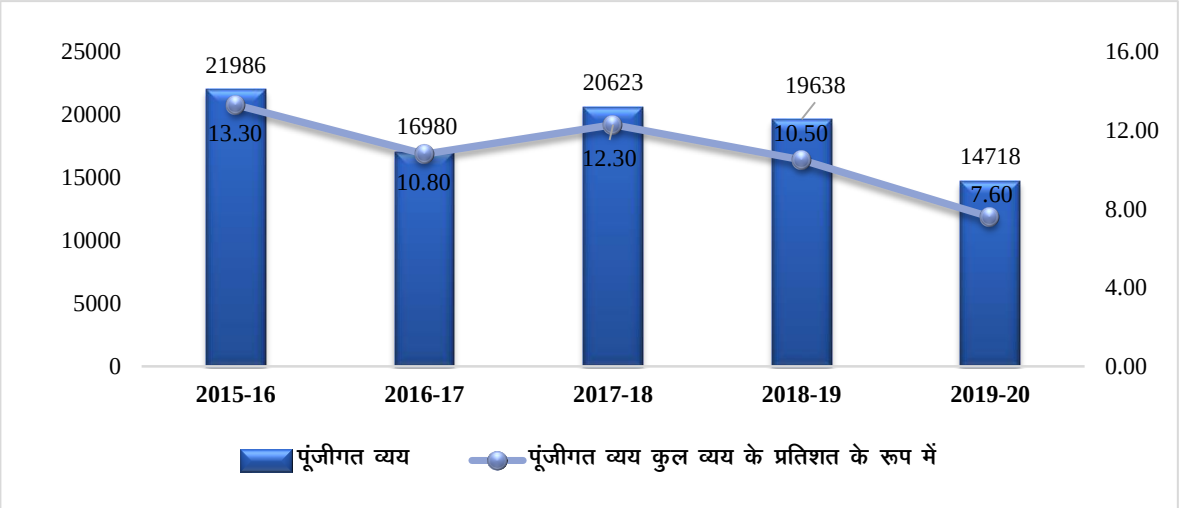

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 4,920 करोड़) की कमी हुई। कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 10.47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 7.61 प्रतिशत रह गया। यह वर्ष 2015-16 में ₹ 21,986 करोड़ से 9.55 प्रतिशत सीएजीआर से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 14,718.05 करोड़ रह गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,822.35	2,130.00	(-) 1,692.35
5054- सड़क व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	4,161.48	3,200.81	(-) 960.67
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,869.69	3,184.44	(-) 685.25
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,296.09	694.92	(-) 601.17
5475 -अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	631.18	187.69	(-) 443.49

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 4,920 करोड़) की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं (₹ 1,692.35 करोड़), सड़क और पुल (₹ 960.67 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 685.25 करोड़), शहरी विकास (₹ 601.17 करोड़) और अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹ 443.49 करोड़) पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।

तालिका 2.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	37,417.62	41,733.94	45,780.60	49,861.39	52,208.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	97.41	67.80	66.76	55.80	54.47
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[14] (प्रतिशत)	6.7	7.6	7.3	7.3	7.1
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अंतर (प्रतिशत)	6.4	7.4	7.2	7.2	7.0
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)#	2,394.73	3,088.31	3,296.20	3,590.02	3,654.62

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष के अंत तक निवेश * ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अंतर।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक 43 सरकारी कम्पनियों (₹ 49,845.97 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 11 संयुक्त साँझी कम्पनियों (₹ 916.36 करोड़), 22 संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 2.16 करोड़), एक साझेदारी निकाय[15] तथा सहकारी बैंक और समितियों (₹ 606.39 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 52,208.91 करोड़ था। पांच विद्युत कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 47,395 करोड़ था जो राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.78 प्रतिशत था। वर्ष 2015-20 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.3 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने इनके उधारों पर 6.7 से 7.6 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज चुकाया (**तालिका 2.27**) जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

तालिका 2.28: पूर्णतः अपक्षरित निवल संपत्तियों वाली कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त लेखों की अवधि	31 मार्च को 2020 निवल संपति	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2019-20	-17,539.83	549.04	11,332.51
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2019-20	-19,276.93	533.42	10,487.99
	योग		**-36,816.76**	**1,082.46**	**21,820.50**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वर्ष 2019-20 के अंतिम लेखों के अनुसार, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनकी निवल सम्पतियाँ पूरी तरह अपक्षरित हो गयी है में वर्ष के दौरान

14. सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर = ब्याज अदायगी/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं +वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100

15. केवल ₹ 20,833

₹ 1,082.46 करोड़ का निवेश किया गया। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जिसकी वर्ष 2018-19 के अंतिम लेखों के अनुसार निवल सम्पतियाँ (-) ₹ 19,000.52 करोड़ थी, में ₹ 447.54 करोड़ (वर्ष 2019-20 तक संचयी निवेश ₹ 10,465.57 करोड़) का निवेश किया।

तालिका 2.29: घाटे में चल रही कम्पनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी/निगम	गत वर्ष के दौरान हानि	वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च2020 तक संचयी निवेश
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	128.02	250.00	4,691.04

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में ₹ 250.00 करोड़ का निवेश किया, जो 2018-19 में घाटे में चल रही कंपनी थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय ₹ 14,718.05 करोड़ में से राज्य सरकार ने कम्पनियों में ₹ 1,780 करोड़ का निवेश किया जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से अपक्षरित हो गयी थी या हानि में चल रही थी।

राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। **तालिका 2.30,** 31 मार्च 2020 को बकाया ऋण एवं अग्रिम और विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 2.30: पांच वर्षो के दौरान संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	**4,701**	**39,856**	**51,108**	**37,308**	**23,263**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,447	1,713	15,134*	15,158*	15,670*
बकाया ऋणों का अन्तिम शेष	**39,856**	**51,108**	**37,308**	**23,263**	**9,848**
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरण-वसूली)	35,155	11,252	(-)13,800	(-)14,045	(-)13,415
ब्याज प्राप्तियाँ	196	172	3,020	4,390	2,568
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	0.9	0.4	6.8	14.5	15.5
सरकार द्वारा चुकाए गए बकाया ऋण पर ब्याज दर	6.7	7.6	7.3	7.3	7.1
चुकाए गए ब्याज एवं प्राप्त ब्याज की दर में अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.8	(-) 7.2	(-) 0.5	(+) 7.2	(+) 8.4

स्रोतः वित्त लेखे

*अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित उदय ऋण सहितः 2017-18= ₹ 15,000 करोड़, 2018-19= ₹ 15,000 करोड़ एवं 2019-20= ₹ 14,722 करोड़।

कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 9,848 करोड़) में बिजली परियोजनाओं को दिये गये ₹ 5,641 करोड़ (57 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि वर्ष 2018-19 में ₹ 1,113 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 2,255 करोड़ (आर्थिक सेवाओं: ₹ 1,969 करोड़ और सामाजिक सेवाओं: ₹ 286 करोड़) हो गयी।

वर्ष के दौरान, ऋणों का बड़ा भाग जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 688 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 541 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 532 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 142 करोड़) और राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कोष (₹ 130 करोड़) को अग्रिम दिया गया था।

अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृति का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना **तालिका 2.31** और **तालिका 2.32** में दी गई है।

तालिका 2.31: 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष (प्रारम्भ)	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2020 को)
2010-11 तक	25	9,685.14	8,729.09
2011-12	6	174.40	90.67
2012-13	21	5,345.63	4,280.19
2013-14	34	18,383.20	11,528.94
2014-15	4	321.62	227.69
2015-16	15	1,565.85	1,162.48
2016-17	37	2,604.81	1,255.87
2017-18	106	5,852.74	2,883.62
2018-19	80	5,830.18	1,215.94
2019-20	1	18.00	0.01
योग	**329**	**49,781.57**	**31,374.50**

तालिका 2.32: 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण (₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2020 को)
जल संसाधन	85	17,960.29	9,342.96
लोक निर्माण	158	6,096.35	3,139.83
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	86	25,724.93	18,891.71
योग	**329**	**49,781.57**	**31,374.50**

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 को 329 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिस पर ₹ 31,374.50 करोड़ की राशि का व्यय किया हुआ था जो कि राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 2,02,806.46 करोड़) का 15.5 प्रतिशत था।

अधूरी परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और राज्य को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों पर ऋण और ब्याज दायित्वों के रूप में अतिरिक्त राजकोषीय बोझ का कारण है । इन सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों तक लाभ पहुंच सके और आगे लागत वृद्धि से बचा जा सके।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने उदय योजना का शुभारम्भ (नवम्बर 2015) किया था।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम की परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया (27 जनवरी 2016)। यह योजना राजस्थान सरकार को डिस्कॉम के 30 सितंबर 2015 को बकाया ऋण के 75 प्रतिशत हिस्से को दो वर्ष में अधिग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती है।

तीनों डिस्कॉम का कुल बकाया ऋण 30 सितंबर 2015 को ₹ 83,229.89 करोड़ था। इसमें से, राजस्थान सरकार ने उदय के अन्तर्गत ₹ 62,421.96 करोड़[16] (₹ 83,229.89 करोड़ का 75 प्रतिशत) अधिग्रहण किया जिसमें ₹ 8,700 करोड़ अंश पूंजी के रूप में, ₹ 44,722 करोड़ ऋण के रूप में एवं ₹ 9,000 करोड़ अर्थ-सहाय्य के रूप में शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया कि उदय के तहत डिस्कॉम को दिये गये ऋण (₹ 44,721.96 करोड़) को आगामी तीन वर्षों में अर्थात् उदय में दी गई छूट के अनुसार 2019-20 तक अनुदान और अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। तदनुसार, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार ने ₹ 44,721.96 करोड़ के ऋण को ₹ 6,905.49 करोड़ अंशपूंजी, ₹ 33,726.06 करोड़ अर्थ-सहाय्य एवं ₹ 4,090.41 करोड़ को पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित कर दिया है। अंततः, योजना की अवधि के समापन पर डिस्कॉम को अंश पूंजी सहायता, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गए कुल ऋण का 25 प्रतिशत थी, जो योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

16. वर्ष 2015-16 के दौरानः ₹ 40049.77 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 22372.19 करोड़।

तालिका 2.33: उदय के अंतर्गत अंश पूंजी/ऋण/अर्थ-सहाय्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूंजी निवेश	ऋण	अर्थ-सहाय्य/सहायतार्थ अनुदान	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
योग	**8,700.00**	**44,721.96**	**9,000.00**	**62,421.96**
2017-18	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2019-20	905.49	(-) 14,721.96	13,816.47	-
योग	**6,905.49**		**37,816.47**	
31-03-2020 को स्थिति	**15,605.49 (25.00%)**	-	**46,816.47 (75.00%)**	**62,421.96**

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2020 तक उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम के ऋण को अधिग्रहण करते हुए राजस्थान सरकार ने अंश पूंजी के रूप में ₹ 15,605.49 करोड़ का निवेश एवं अर्थ-सहाय्य के रूप में ₹ 46,816.47 करोड़ इन तीनों डिस्कॉम को प्रदान किया। इस ऋण के अधिग्रहण हेतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 62,421.96 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹ 40,049.77 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 22,372.19 करोड़) का ऋण लिया। मार्च 2020 के अन्त तक उदय के अन्तर्गत गैर वैधानिक तरलता बॉण्ड तथा जब्ती बॉण्ड के रूप में राज्य सरकार की बकाया उधारी ₹ 44,730.29 करोड़ थी।

2.4.3.2 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई (जुलाई 2007) थी। यह पीपीपी के लिए राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एवं राज्य में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई (जुलाई 2020) सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ₹ 16,985.30 करोड़ की 184 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है एवं ₹ 2,558.98 करोड़ की 31 परियोजनाएँ प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 17,316.32 करोड़ की 38 परियोजनाएँ भविष्य के लिए विचाराधीन है। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिरत और भविष्य के लिये पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.34** में दिया गया हैं।

तालिका 2.34: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	70	8,536.58	05	597.87	10	1,565.04
2.	शहरी आधारभूत संरचना	23	454.34	12	612.37	16	12,859.55
3.	विद्युत	11	7,097.90	8	1,310.92	2	45.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	2,165.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	63	636.11	5	23.76	5	213.43
7.	अन्य	15	160.36	1	14.06	3	468.30
	योग	**184**	**16,985.30**	**31**	**2,558.98**	**38**	**17,316.32**

वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में प्रकट हुआ है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष में पीपीपी परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट प्रपत्र में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष से जुडी राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) न्यून होती है यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, उतना व्यय की गुणवत्ता को बेहतर माना जायेगा।

तालिका 2.35, वर्ष 2014-15 और 2019-20 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (जीसीएस) के औसत की तुलना में राज्य सरकार की समग्र व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.35 : स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	समग्र व्यय /जीएसडीपी	पूंजीगत व्यय /समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 2014-15	15.99	13.98	16.54	4.92
राजस्थान 2014-15	18.09	14.46	17.44	5.80
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 2019-20	15.15	12.97	15.91	5.21
राजस्थान 2019-20	18.95	7.61	17.73	6.28

स्रोतः राजस्थान की जी एस डी पी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे।

तालिका 2.35 निम्नानुसार इंगित करती हैः

- वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों (15.15 प्रतिशत) की तुलना में राज्य में समग्र व्यय का जीएसडीपी से अनुपात अधिक (18.95 प्रतिशत) था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात (7.61 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (12.97 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय

व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय देता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल व्यय का 72.7 प्रतिशत वेतन, पेंशन, सहायतार्थ-अनुदान (गैर-संवेतन), ब्याज/लाभांश भुगतान और अर्थ-सहाय्य पर व्यय किया गया, जबकि शेष 27.3 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों पर व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ,जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष उपलब्ध निधियाँ सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए रहती है।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

विगत पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.36** में दिये गये है।

तालिका 2.36: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I.अल्प बचतें,भविष्य निधि, इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	**3,267**	**3,380**	**3,201**	**5,383**	**3,991**
J. आरक्षित निधियां	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	(-) 61	93	(-) 243	587	3,094
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	979	566	1,079	(-) 20	1,236
	उप-योग	**918**	**659**	**836**	**567**	**4,330**
K. जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज वाली जमा	154	425	393	436	2,150
	(ब) बिना ब्याज वाली जमा	2,102	2,815	5,309	3,620	2,875
	(स) अग्रिम	(-) 1	2	1	-	-
	उप-योग	**2,255**	**3,242**	**5,703**	**4,056**	**5,025**
L. उचंत एवं विविध	(ब) उचंत	61	(-) 89	(-) 7	(-) 30	105
	(स) अन्य लेखे	(-) 2	(-) 30	(-) 20	(-) 27	(-) 19
	(द) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
	(य) विविध	-	-	-	-	-
	उप-योग	**59**	**(-) 119**	**(-) 27**	**(-) 57**	**86**
M. प्रेषण	(अ) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-) 20	(-) 3	11	8	4
	(ब) अन्तःसरकार समायोजन लेखा	-	-	(-) 1	1	(-) 12
	उप-योग	**(-) 20**	**(-) 3**	**10**	**9**	**(-) 8**
योग		**6,479**	**7,159**	**9,723**	**9,958**	**13,424**

* निवल शेष का अर्थ है वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का अन्तर।
नोट : धन नामे शेष को दर्शाता है एवं ऋण जमा शेष को दर्शाता है।

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2015-20 के दौरान सीएजीआर 19.98 प्रतिशत से बढ़ी और वर्ष 2015-16 में ₹ 6,479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 13,424 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2019-20 के दौरान, निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पांच वर्षों की अवधि 2015-20 में लोक लेखा के शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.15** में दिया गया हैं।

चार्ट 2.15: लोक लेखा के शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

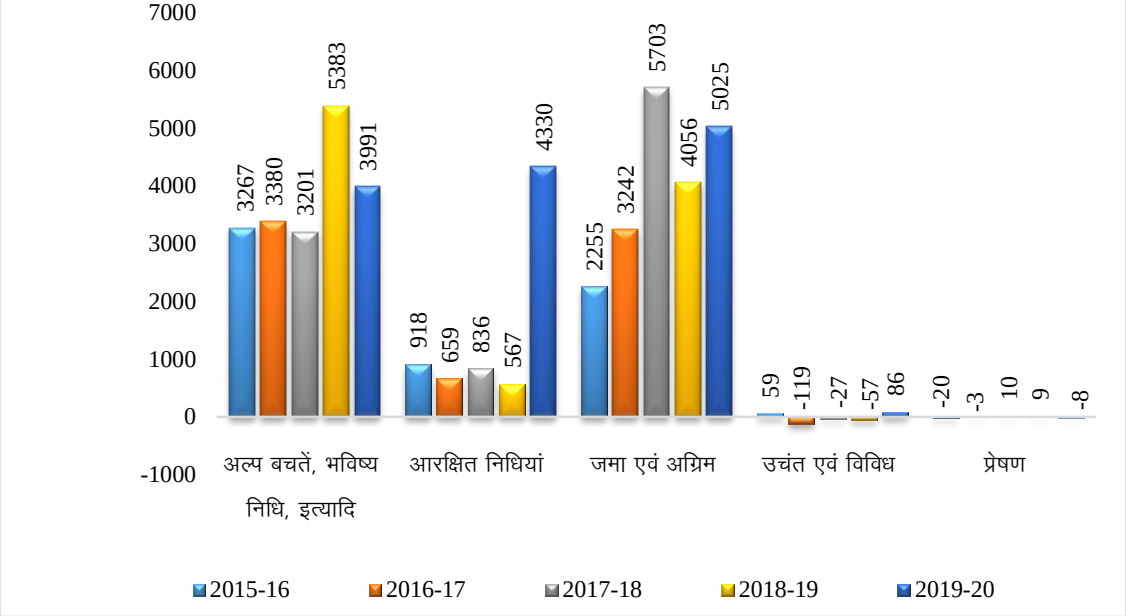

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियां राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2020 को, ₹ 3,831.86 करोड़ की चार ब्याज वाली संचालित निधियों सहित लोक लेखे में राशि ₹ 9,881.68 करोड़[17] की 28 आरक्षित निधियाँ थी।

17. इसमें (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधिः ₹ 2096.22 करोड़, (ii) राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधिः ₹ 1688.16 करोड़ (iii) ह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्यः ₹ 67.28 करोड़ एवं (ब) बिना ब्याज वाली (iv) गारन्टी मोचन निधिः ₹ 4917.30 करोड़, (v) जल संरक्षण उपकर निधिः ₹ 236.31 करोड़ (vi) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधिः ₹ 298.96 करोड़ (vii) समर्पित सड़क सुरक्षा निधिः ₹ 220.38 करोड़ (viii) संसाधन विकास निधिः ₹ 180.88 करोड़ तथा (ix) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधिः ₹ 79.51 करोड़ शामिल थी।

- ***संचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की 24 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 7,692.20 करोड़ जमा किये गये थे, जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,642.89 करोड़[18]), राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (₹ 1,748.26 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 1,170.00 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 837.14 करोड़), अन्य विकास और कल्याण कोष (₹ 794.51 करोड़) और पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 490.50 करोड़) शामिल थी।

- ***असंचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पांच साल से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से, एक निधि[19] (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली थी और तीन निधियाँ[20] (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2019 को ₹ 67.48 करोड़ की दो ब्याज वाली निधियों (एक संचालितः ₹ 67.28 करोड़ और एक असंचालितः ₹ 0.20 करोड़) पर ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज भुगतान (परम्परागत रूप से अनुमानित 7.5 प्रतिशत, मार्गोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर) की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि ब्याज जमा नहीं किया गया था।

2.5.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार (भास) ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के साथ बदल दिया। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इस निधि में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वार्षिक अंशदान दिया जाना था।

केंद्रीय अंशदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंशदान को लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8121, ब्याज वाली आरक्षित निधि) में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा विलम्ब अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज को छः माही आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में हुई वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों,

18. इसमें एनडीआरएफ के ₹ 1164.99 करोड़ शामिल थे।

19. झामर कोटड़ा राक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजनाः ₹ 20.45 लाख।

20. (i) कृषक सुधार निधिः ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से सघन प्रजनन नया मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधिः ₹ 0.95 लाख एवं (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोषः ₹ 402.08 लाख।

नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज वाली अन्य जमाओं में निवेश किया जाना था।

आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग के अभिलेखों और प्राप्त जानकारी की संवीक्षा (सितंबर 2020) के दौरान, यह पाया गयाः

(i) चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,435.78 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान ₹ 1,005.00 करोड़, राज्यांश ₹ 335.00 करोड़ और प्राप्त केंद्रीयांश का बकाया प्राप्त लेकिन वर्ष 2018-19 में निधि में हस्तांतरित नहीं किया ₹ 95.78 करोड़) हस्तांतरित किया। यह देखा गया कि भारत सरकार ने एसडीआरएफ की पहली किस्त ₹ 502.50 करोड़ के लिए स्वीकृति (30 जुलाई 2019) दी जो राज्य सरकार ने अपने अंशदान (₹ 167.50 करोड़) के साथ 12 दिनों के विलम्ब से 26 अगस्त 2019 को हस्तांतरित किया था। इसी प्रकार, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीयांश की पहली किस्त के बकाया के रूप में ₹ 95.78 करोड़ की स्वीकृति दी (10 सितंबर 2018), जिसे 408 दिनों के विलम्ब के साथ 7 नवम्बर 2019 को निधि में हस्तांतरित किया गया था।

यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में हस्तांतरण के लिए ₹ 1,949.59 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने की स्वीकृति दी (30 जुलाई 2019 और 27 मार्च 2020), जिसमें से राजस्थान सरकार ने मात्र ₹ 1,164.99 करोड़ हस्तांतरित किये (26 अगस्त 2019), परिणामस्वरूप ₹ 784.60 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया। इसके कारण राज्य का राजस्व घाटा इस सीमा तक कम हुआ।

इसके अतिरिक्त, 30 जुलाई 2019 को प्राप्त ₹ 1,164.99 करोड़ की राशि 12 दिनों के विलम्ब के साथ 26 अगस्त 2019 को एनडीआरएफ को हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, राज्य सरकार विलम्ब की अवधि के लिए ₹ 10.20 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

(ii) 31 मार्च 2020 तक आपदा राहत कार्यों पर ₹1,217.42 करोड़ के व्यय के बाद एसडीआरएफ में ₹ 2,096.22 करोड़ (एनडीआरएफ में शेष सहित) का निवल शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की अप्रयुक्त राशि का किसी भी निर्धारित साधन में निवेश नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान अनिवेशित राशि पर ₹ 8.67 करोड़ के ब्याज का भुगतान तथा वर्ष 2019-20 के दौरान अनिवेशित राशि पर अर्द्ध-वार्षिक (अप्रेल-सितम्बर 2019) ब्याज के रूप में ₹ 33.45 करोड़ का भुगतान किया।

अप्रयुक्त एसडीआरएफ शेष को दिशा-निर्देशों में निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

तालिका 2.37: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 01-सूखा	102- पेयजल आपूर्ति	7.42
	104- चारे की आपूर्ति	40.60
	800- अन्य व्यय	338.02
	उप-योग	**386.04**
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि	101-आनुग्रहिक राहत	1.17
	106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना	38.41
	111-शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	5.51
	113-घर की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए सहायता	33.97
	114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	688.05
	117-पशु धन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	(-) 0.03
	122-खराब सिंचाई प्रणाली की मरम्मत एवं पुनः स्थापना तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्य	1.29
	282-जन स्वास्थ्य	63.01
	उप-योग	**831.38**
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	8.71
	उप-योग	**8.71**
	योग	**1,226.13**
05-राज्य आपदा मोचन निधि	101-आरक्षित निधियों जमा लेखों को अन्तरण राज्य आपदा मोचन निधि	2,600.76
	901-घटाइये-राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 1,217.42
	उप-योग	**1,383.34**
महा योग		**2,609.47**

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 1,226.13 करोड़ का व्यय बजट शीर्ष 'प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत' पर किया गया था, जिसमें से ₹ 1,217.42 करोड़ सरकार ने एसडीआरएफ से समायोजित किये।

2.5.2.2 प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 26.10.2002 के अनुसार, प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क को मुख्य शीर्ष '0075-108 गारंटी फीस' के तहत जमा किया जाएगा और प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के लिए प्रावधान बजट शीर्ष 2075 के तहत किया जाएगा और आगे मुख्य शीर्ष 8235-'प्रत्याभूति मोचन निधि' में स्थानांतरित किया जाएगा। संचित निधि का उपयोग केवल प्रत्याभूति के भुगतान के लिए किया जाता है

जो सरकार द्वारा जारी की गई और संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं की गई थी जिसकी जिम्मेदारी पर प्रत्याभूति जारी की गई थी। यह आदेश 01 अप्रैल 2003 से प्रभावी था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2007 के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जावेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्ध करता है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,917.30 करोड़ का शेष है जो कि बकाया प्रत्याभूति (₹ 80,631.25 करोड़) का 6.10 प्रतिशत था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार से प्राप्त (16 सितंबर 2020) सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 को, शीर्ष '8235-117' के अन्तर्गत निधि में ₹ 4,080.16 करोड़ प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 586.86 करोड़ (2018-19 की अवधि से संबंधित 0.64 करोड़ और 2019-20 की ₹ 586.22 करोड़[21]) की राशि निधि में अन्तरित की गई थी और इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार से ₹ 250.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2020 को, निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 4,917.30 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹ 1,700.32 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलो में निवेश किये गये थे और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2007 का उल्लंघन कर 31 मार्च 2020 को शेष राशि ₹ 3,216.98 करोड़ निवेश नहीं की गई।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जिसमें आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो सरकार ने अधिनियम या अन्य कोई वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं।

तालिका 2.38: वर्ष 2015-20 के दौरान कुल बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण	**2,09,386**	**2,55,002**	**2,81,182**	**3,11,374**	**3,52,702**
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	41.85	21.79	10.27	10.74	13.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	6,81,482	7,60,750	8,35,170	9,42,586	10,20,989
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55

21. ₹ 637.75 करोड़ की प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क राशि के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 586.30 करोड़ प्राप्त हुई।

चार्ट 2.16: 2015-20 के दौरान बकाया ऋण की स्थिति

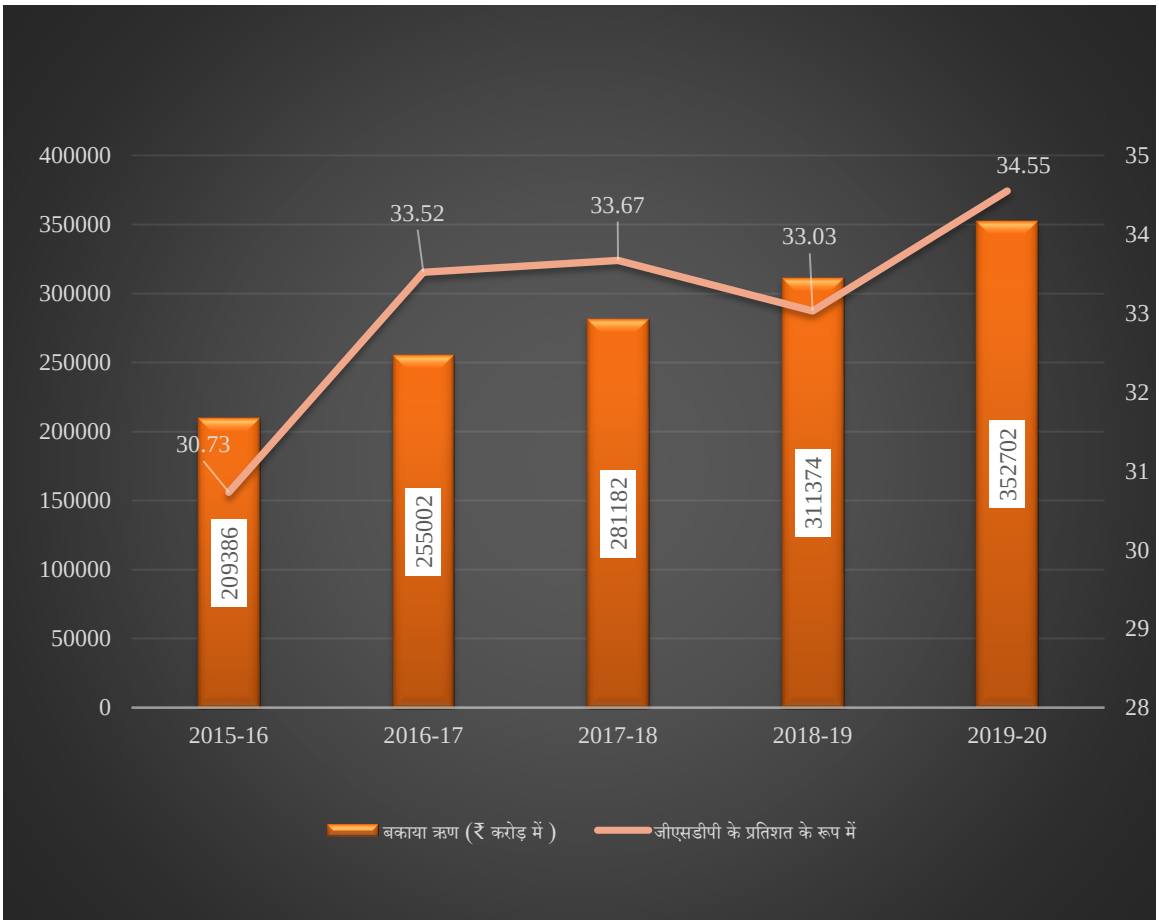

राज्य सरकार का कुल ऋण वर्ष 2015-16 में ₹ 2,09,386 करोड़ से 13.92 प्रतिशत सीएजीआर से बढकर वर्ष 2019-20 में ₹ 3,52,702 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में इसमें 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.6.1 ऋण रुपरेखा: घटक

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की व्याख्या ***परिशिष्ट-2.3*** में की गई है।

तालिका 2.39: घटक वार ऋण की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण		**2,09,386***	**2,55,002***	**2,81,182***	**3,11,374***	**3,52,702***
लोक ऋण	**आतंरिक ऋण**	1,48,292	1,84,285	2,00,244	2,19,312	2,42,077
	भारत सरकार से ऋण	8,258	11,139	12,063	13,927	17,303
लोक लेखा दायित्व		52,836	59,578	68,875	78,135	93,322

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	41.85	21.79	10.27	10.74	13.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	6,81,482	7,60,750	8,35,170	9,42,586	10,20,989
कुल ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
कुल ऋण प्राप्तियाँ	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012
कुल ऋण पुनर्भुगतान	1,37,536	1,56,067	1,60,145	1,78,542	1,97,684
कुल उपलब्ध ऋण	61,777	45,616	26,180	30,192	41,328
उपलब्ध ऋण/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	30.99	22.62	14.05	14.46	17.29

* बकाया उदय ऋणः 2015-16= ₹40,050 करोड़, 2016-17= ₹ 62,422 करोड़, 2017-18= ₹ 58,272 करोड़, 2018-19= ₹ 51,636 करोड़ तथा 2019-20= ₹ 44,730 करोड़ सहित।

चार्ट 2.17: वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋणों का विभाजन

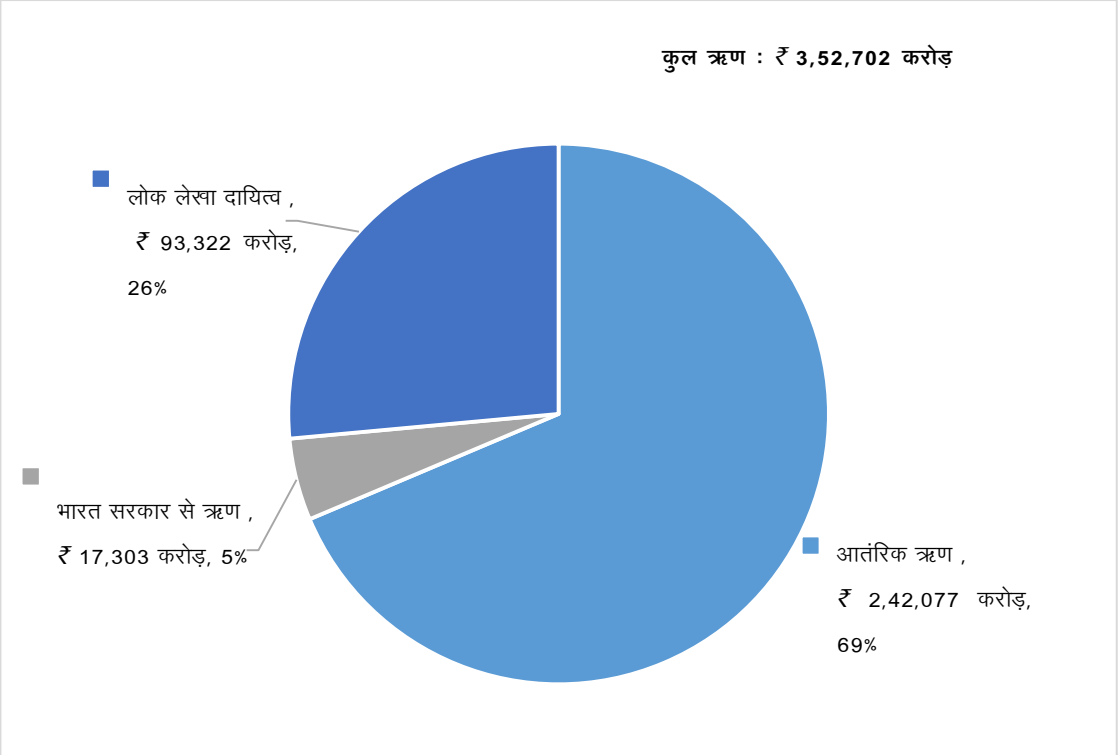

चार्ट 2.18: घटक वार ऋण की प्रवृतियाँ*

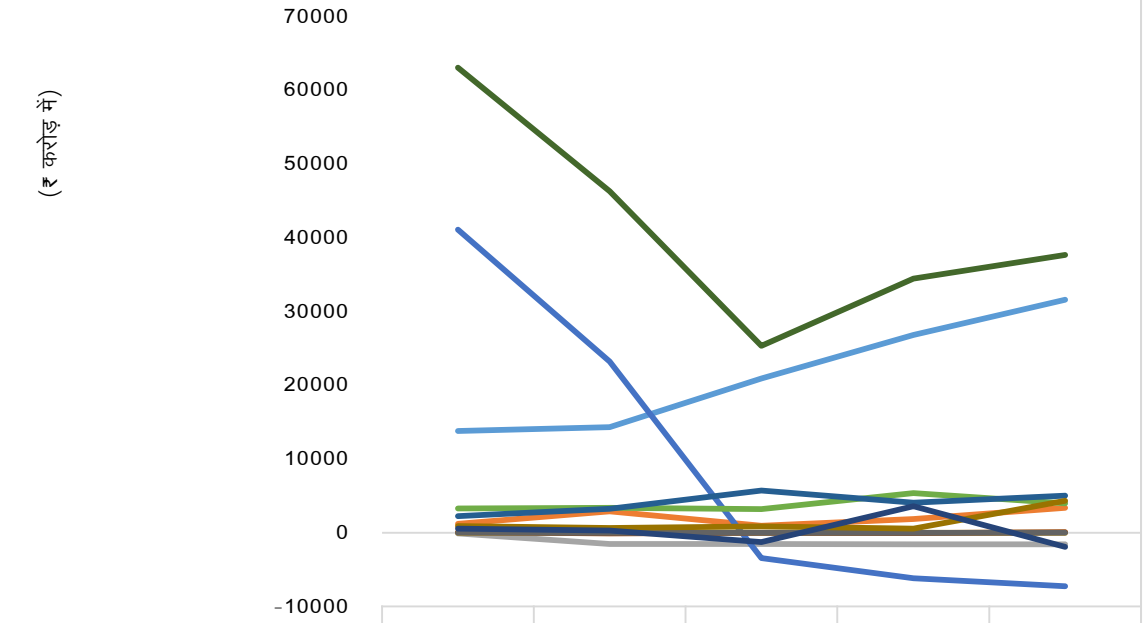

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बाजार से उधार	13807	14325	20927	26822	31592
भारत सरकार से कर्ज	1224	2881	924	1864	3375
राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	-86	-1536	-1536	-1560	-1585
मार्गोपाय	0	0	0	0	0
वित्तीय संस्थानों से कर्जे	41094	23204	-3432	-6194	-7241
अल्प बचते, भविष्य निधि इत्यादि	3267	3380	3201	5383	3991
जमा एवं अग्रिम	2255	3242	5703	4056	5025
उचंत एवं विविध	59	-119	-27	-57	86
प्रेषण	-20	-3	10	9	-8
आरक्षित निधियां	918	659	836	567	4330
रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	552	285	-1264	3583	-1911
राजकोषीय घाटा	63070	46318	25342	34473	37654

* निवल आंकड़े यथा वर्ष के दौरान सम्बन्धित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों के मध्य का अंतर है।

चार्ट 2.19: आन्तरिक ऋण लेने की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

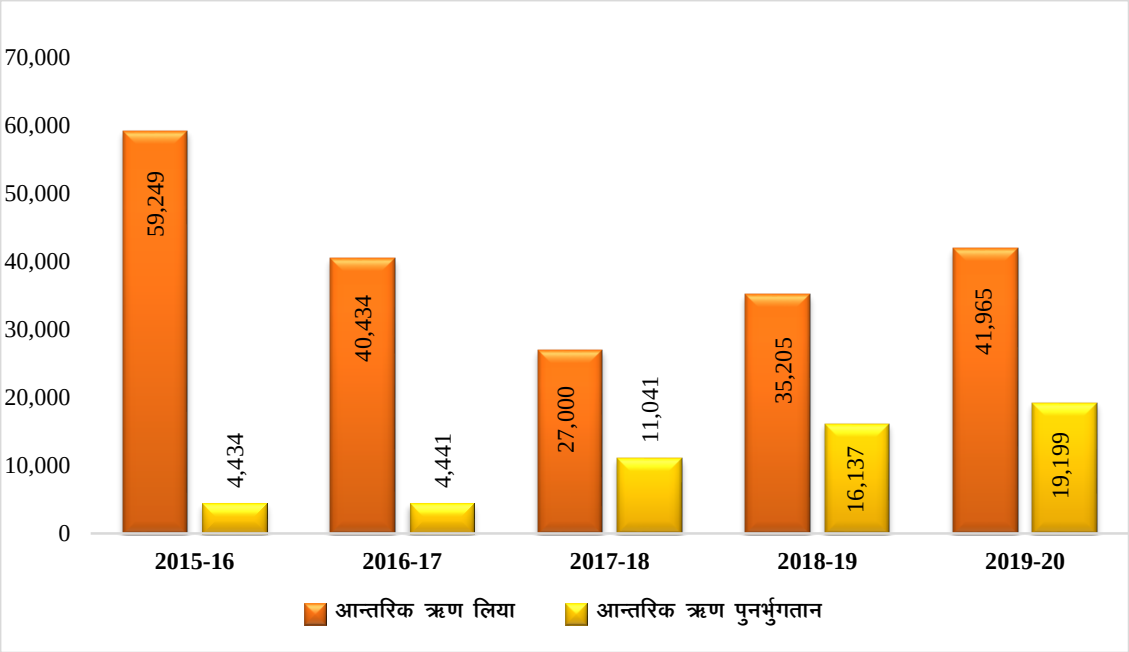

राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 2.40 वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है (**तालिका 2.41** संदर्भित करती है)।

तालिका 2.40: राजकोषीय घाटे के घटक और उनके मद वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		2015-16#	2016-17#	2017-18#	2018-19	2019-20
(अ)	**राजकोषीय घाटे का संयोजन**					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	5,954	18,114	18,535	28,900	36,371
2	निवल पूँजीगत व्यय	21,961	16,952	20,607	19,618	14,698
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	35,155@	11,252@	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415
	योग (अ)	**63,070**	**46,318**	**25,342**	**34,473**	**37,654**
(ब)	**राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप**					
1	बाजार से उधार	13,807	14,325	20,927	26,822	31,592
2	भारत सरकार से कर्ज	1,224	2,881	924	1,864	3,375
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 86	(-) 1,536	(-) 1,536	(-) 1,560	(-) 1,585
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	41,094	23,204	(-) 3,432	(-) 6,194	(-) 7,241
6	अल्प बचतें, भविष्य निधि, आदि	3,267	3,380	3,201	5,383	3,991
7	जमा एवं अग्रिम	2,255	3,242	5,703	4,056	5,025
8	उचन्त एवं विविध	59	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86
9	प्रेषण	(-) 20	(-) 3	10	09	(-) 8
10	आरक्षित निधियाँ	918	659	836	567	4,330

(₹ करोड़ में)

		2015-16#	2016-17#	2017-18#	2018-19	2019-20
	योग (ब)	**62,518**	**46,033**	**26,606**	**30,890**	**39,565**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ-ब)	552	285	(-) 1,264	3,583	(-) 1,911
12	समग्र राजकोषीय घाटा (ब+11)	63,070	46,318	25,342	34,473	37,654

स्रोतः वित्त लेखे।

उदय के प्रभाव सहित स्थिति।

@ उदय ऋण वर्ष 2015-16 (₹ 40,050 करोड़) तथा 2016-17 (₹ 22,372 करोड़) में दिए गए उदय ऋण सहित।

* निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है, वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां।

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे के संयोजन से प्रकट होती है।

बाजार से उधारों से निरन्तर राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इनका अंश वर्ष 2018-19 में 78 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 84 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 37,654 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 31,592 करोड़) से की गई।

चार्ट 2.20: वाटर फ्लो चार्ट के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की अभिव्यक्ति

(₹ करोड़ में)

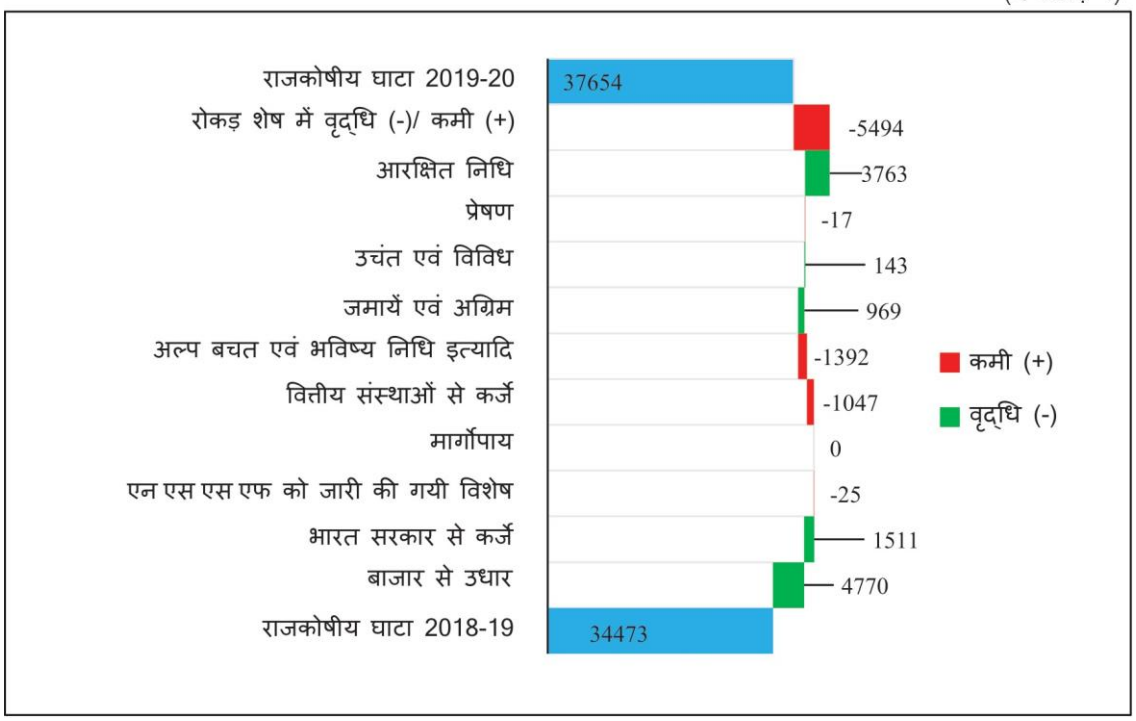

तालिका 2.41: राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधार	39,092	7,500	31,592
2	भारत सरकार से ऋण	4,209	834	3,375
3	एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूति	-	1,585	(-) 1,585
4	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	1,416	1,416	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	1,456	8,697	(-) 7,241
6	अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	12,204	8,213	3,991
7	जमा एवं अग्रिम	1,69,401	1,64,376	5,025
8	उचंत एवं विविध	115	29	86
9	प्रेषण	3,753	3,761	(-) 8
10	आरक्षित निधि	7,692	3,362	4,330
11	**समग्र घाटा**	**2,39,338**	**1,99,773**	**39,565**
12	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	-	-	(-) 1,911
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**-**	**-**	**37,654**

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

31 मार्च 2020 को राज्य के ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में देय राशि) को **तालिका 2.42** और **चार्ट 2.21** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.42: राज्य के ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षो में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
0 – 1	16,555.57	6.38
1 – 3	35,706.22	13.77
3 – 5	47,383.05	18.27
5 – 7	47,844.41	18.45
7 एवं अधिक	93,830.81	36.17
अन्य [22]	18,059.85	6.96
योग	**2,59,379.91**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे

22. इस राशि का भुगतान विवरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़) द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा है।

चार्ट 2.21: ऋण परिपक्वता रूपरेखा

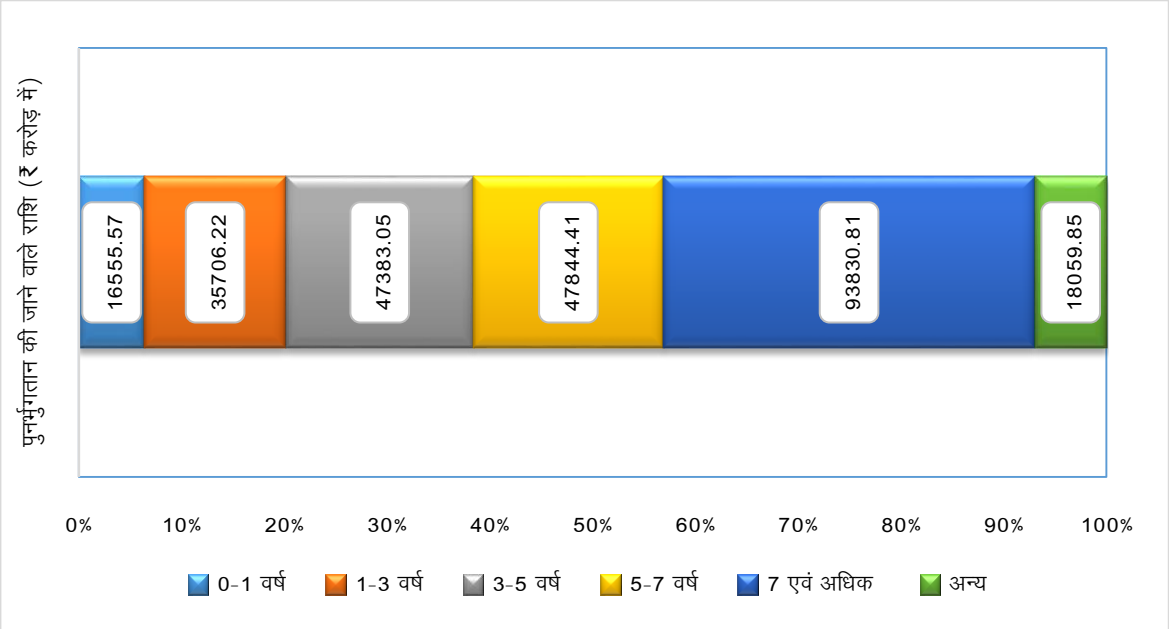

31 मार्च 2020 को लोक ऋण के बकाया ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 2,59,379.91 करोड़ में से 56.86 प्रतिशत (₹ 1,47,489.25 करोड़) आगामी सात वर्षों के अन्तर्गत देय है जबकि शेष 43.14 प्रतिशत (₹ 1,11,890.66 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि में है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

बकाया बाजार ऋण और इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.43** और **चार्ट 2.22** में नीचे दर्शायी गई है।

तालिका 2.43: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
0 – 1	6,180.00	13,432.99
1 – 3	15,041.10	25,276.19
3 – 5	28,050.00	21,833.90
5 – 7	34,853.78	16,834.31
7 -10	78,234.04	12,560.14
10 से अधिक	6,500.00	2,164.09
योग	**1,68,858.92**	**92,101.62**

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

चार्ट 2.22: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)

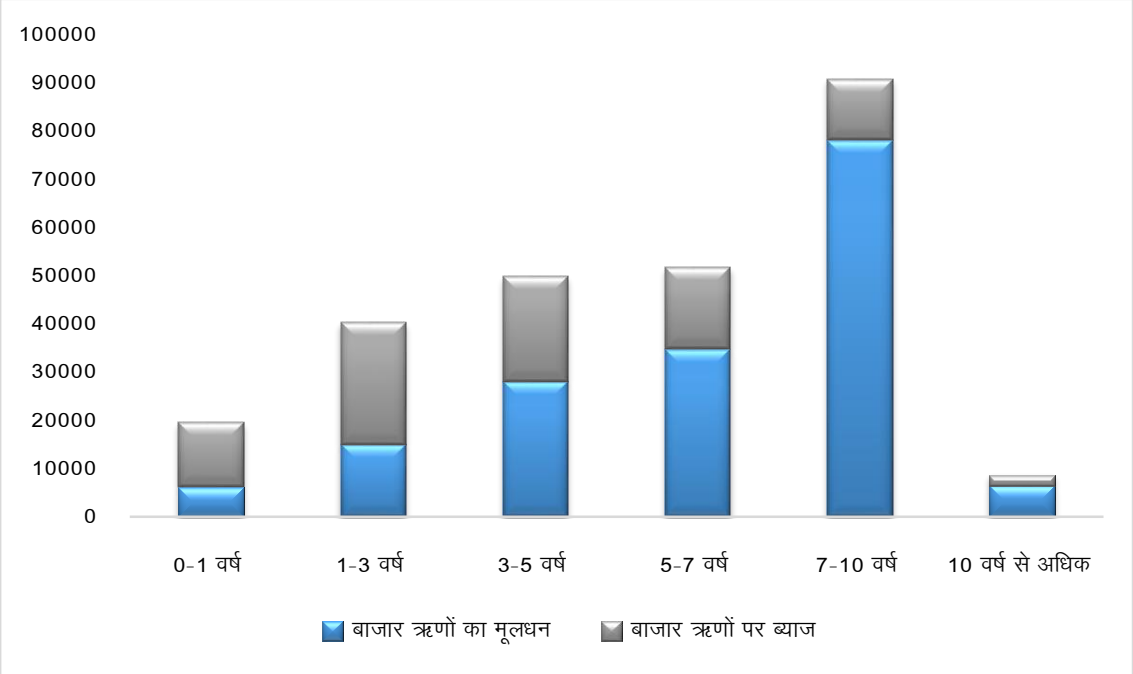

राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक ₹ 21,221.10 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान और ₹ 38,709.18 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2024-25 तक ₹ 28,050.00 करोड़ का मूलधन और ₹ 21,833.90 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 2024-25 तक मूलधन और ब्याज का वार्षिक पुनर्भुगतान लगभग ₹ 21,962 करोड़ होगा।

वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹1,13,087.82 करोड़ का ऋण और ₹ 29,394.45 करोड़ का ब्याज देय होगा। इसी प्रकार, राज्य को वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 की अवधि के दौरान औसतन लगभग ₹ 28,496 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

इसलिए, राज्य सरकार को ऋण के जाल में फंसने से बचने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता

ऋण को धारणीय माना जाता है यदि उधारकर्ता, इस मामले में राज्य, अपने ऋण को वर्तमान और भविष्य में अदा करने का सामर्थ्य रखता हो। ऋण धारणीयता संकेतकों के अनुसार, उधारकर्ताओं की ऋण साख्य और तरलता की स्थिति का आंकलन उनकी ऋण चुकाने की क्षमता और राजस्व के चालू और नियमित स्रोतों की जांच करके किया जाता है।

वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण प्रासंगिक संकेतकों के अनुसार **तालिका 2.44** में किया गया है।

तालिका 2.44: ऋण धारणीयता संकेतकों में प्रवृतियाँ

ऋण धारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	**2,09,386**	**2,55,002**	**2,81,182**	**3,11,374**	**3,52,702**
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	1,56,550	1,95,424	2,12,307	2,33,239	2,59,380
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55.8	24.8	8.6	9.9	11.2
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	6,81,482	7,60,750	8,35,170[23]	9,42,586[24]	10,20,989[25]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32
लोक ऋण/जीएसडीपी	0.23	0.26	0.25	0.25	0.25
कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता – पूर्व की चूक सहित, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)	4,215	4,386	11,000	16,096	17,702
लोक ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	60,998	43,889	28,557	37,847	46,173
लोक ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	4,959	5,015	11,674	16,915	20,032
बकाया लोक ऋण पर ब्याज अदायगियां (₹ करोड़ में)	8,872	14,439	16,214	17,804	19,236
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.90	8.20	7.95	7.99	7.81
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का प्रतिशत	8.85	13.24	12.74	12.91	13.73
लोक ऋण प्राप्ति से लोक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	8.13	11.43	40.88	44.69	43.38
राज्य के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण# (₹ करोड़ में)	47,167	24,435	669	3,128	6,905
लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण उपलब्धता	77.33	55.67	2.34	8.26	14.95

स्रोतः वित्त लेखे

**बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आतंरिक ऋण एवं 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेषों का योग है।*

 # राज्य सरकार के पास उपलब्ध निवल ऋण की उपलब्धता की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर अदा किये गये ब्याज के बाद लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

23. संशोधित अनुमान-III
24. संशोधित अनुमान-I
25. अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृतियाँ

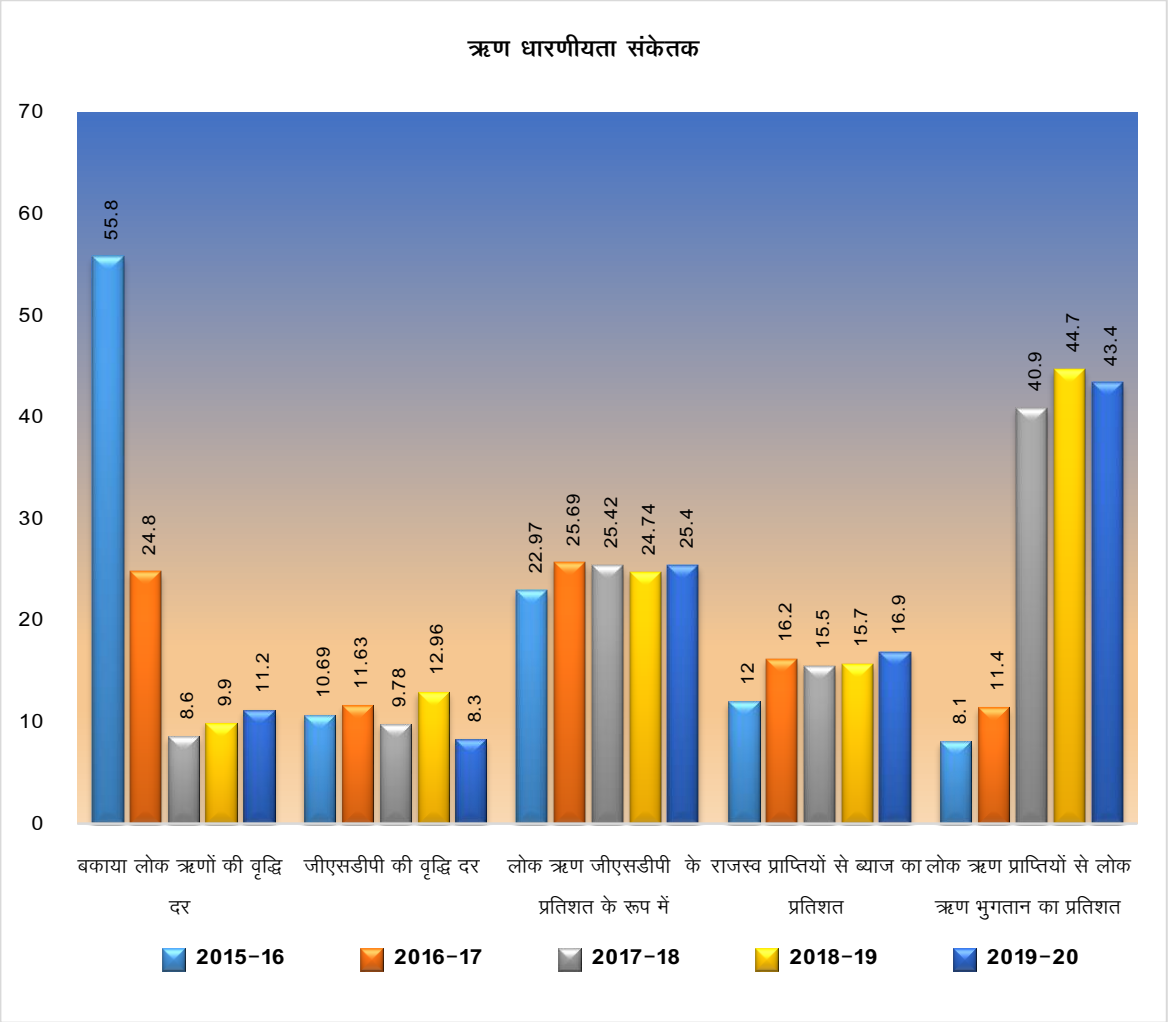

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को लोक ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) के लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2015-16 में ₹ 47,167 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 6,905 करोड़ रह गया, जिसका अर्थ है कि ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा भाग पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए उपयोग किया जा रहा है, परिणामस्वरूप बिगड़ती ऋण स्थिति है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।

तालिका 2.45: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार	1	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012
पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)(प्रतिशत)	2	1,37,536 (69.01)	1,56,067 (77.38)	1,60,144 (85.95)	1,78,542 (85.54)	1,97,684 (82.71)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत)	3	21,961 (11.02)	16,952 (8.41)	20,607 (11.06)	19,618 (9.40)	14,698 (6.15)
निवल ऋण एवं अग्रिम	4	35,155	11,252	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415
निवल उपलब्ध उधारों से राजस्व व्यय के अंश की पूर्ति (प्रतिशत)	5=1-2-3-4	4,661 (2.34)	17,412 (8.63)	19,374 (10.40)	24,619 (11.79)	40,045 (16.75)

स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृतियाँ

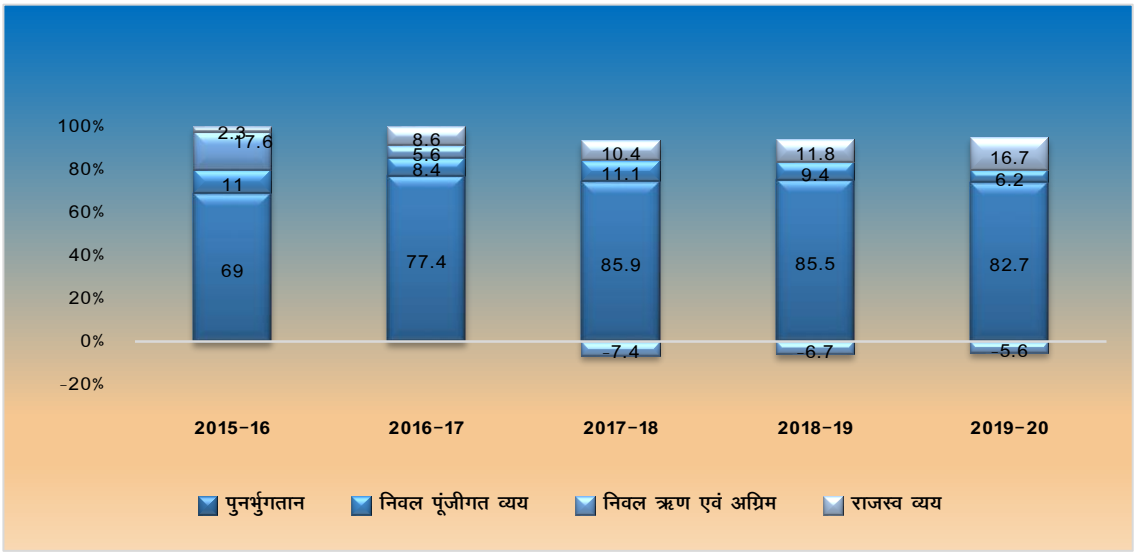

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 40,045 करोड़ के उधार का उपयोग किया गया। कुल ऋण से ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 82.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में इसमें 2.8 प्रतिशतता बिन्दु की कमी हुई है।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार 31 मार्च 2017 को बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की

समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 2.46** में दी गई है।

तालिका 2.46: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	53,620	51,119	61,761	70,430	80,631
कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	160.8	108.4	88.0	95.0	103.3
समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	1,34,430	1,67,405	1,77,390	2,08,306	2,24,905
अनुमानित प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	39.9	30.5	34.8	33.8	35.9

स्रोत : वित्त लेखे और बजट दस्तावेज ।

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2018-19 में ₹ 70,430 करोड़ से 14.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 80,631 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,40,114 करोड़) की 57.5 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 63,803 करोड़), शहरी विकास और आवास क्षेत्र (₹ 4,686 करोड़), एक सड़क और परिवहन निगम (₹ 3,086 करोड़) और सात सहकारी संस्थाओं (₹ 6,967 करोड़) से सम्बंधित थी। ऋण/अधिविकर्ष के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज भुगतान के लिए विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ दी गई थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (35.9 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, राज्य सरकार को 01-03-1999 से समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर कमी को ठीक किया जाता है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के प्रयोजन के लिए आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ, दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया

जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा शेष से कम प्राप्त होता है और उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए 27.01.2016 से मार्गोपाय अग्रिम की सामान्य सीमा ₹ 1,630.00 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2020 तक यही रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के विरुद्ध विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2019 को ₹ 3,496.20 करोड़ और 31 मार्च 2020 को ₹ 1,750.15 करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई में न्यूनतम नकद शेष राशि का किस सीमा तक संधारित किया को नीचे दिया गया है:

(i) ***विशेष मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2019 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से ₹ 1,416.40 करोड़ तीन बार ((₹ 366.01 करोड़ 01-06-2019 से 03-06-2019 तक), (₹ 564.54 करोड़ 03-06-2019 के लिए) और (₹ 485.85 करोड़ 10-06-2019 के लिए)) विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए । वर्ष 2019-20 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***रोकड़ शेष:*** 31 मार्च 2020 को राज्य का सामान्य रोकड़ शेष, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश' (₹ 5,807.73 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 1,870.87 करोड़) और अन्य रोकड़ शेष (₹ 3.69 करोड़) के अलावा, ₹ 22.12 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. **कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101)** = ₹ 0.05 करोड़

ब. **आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102)** = ₹ 49.03 करोड़

स. **मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय (मुख्य शीर्ष 8999-104)** = ₹ (-) 26.96 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2020 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के संबंध में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे (₹ 49.03 करोड़ (नामे)) के आंकड़ों और आरबीआई द्वारा सूचित किये गये (₹ 29.80 करोड़ (जमा) के बीच ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का अंतर था। राशि ₹ 13.92 करोड़ (जमा) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। ₹ 5.31 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और इसके मिलान की आवश्यकता है।

तालिका 2.47: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रेल 2019 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
अ. सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 64.45	49.03
मार्गस्थ प्रेषण - स्थानीय	(-) 12.32	(-) 26.96

	1 अप्रेल 2019 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
योग	**(-) 76.72**	**22.12**
रोकड़ शेष निवेश खाते में किये गये निवेश	2,154.46	**5,807.73**
योग (अ)	**2,077.74**	**5,829.85**
ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात सार्वजनिक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.87	0.85
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगियाँ	2.86	2.84
चिन्हित निधियों में निवेश	3,712.28	1,870.87
योग (ब)	**3,716.01**	**1,874.56**
योग (अ +ब)	**5,793.75**	**7,704.41**
प्राप्त ब्याज	**281.20**	**77.12**

स्रोत : वित्त लेखे।

तालिका 2.48: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+) /कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	7,628.58	5,915.95	(-) 1,712.63	578.23
2016-17	5,915.95	5,585.10	(-) 330.85	460.86
2017-18	5,585.10	6,401.72	816.62	365.84
2018-19	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26	281.20
2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते है और आंशिक रूप से 91, 181 और 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते है। वर्ष 2019-20 के अंत तक ₹ 5,807.73 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 77.12 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अलावा, ₹ 1,870.87 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.25: बाजार ऋण की तुलना में रोकड़ शेष

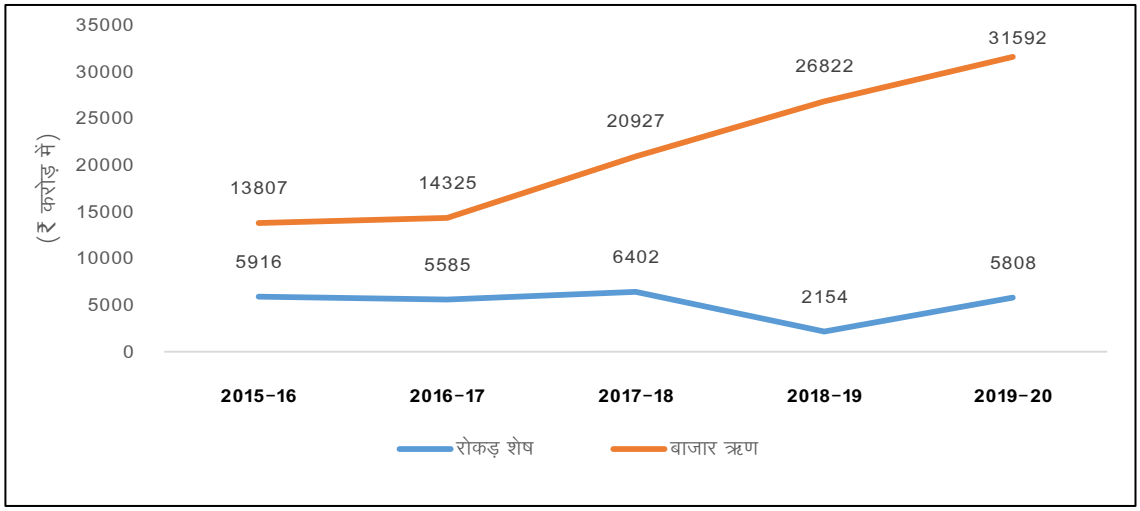

चार्ट 2.26: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष और निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार विचलन

(₹ करोड़ में)

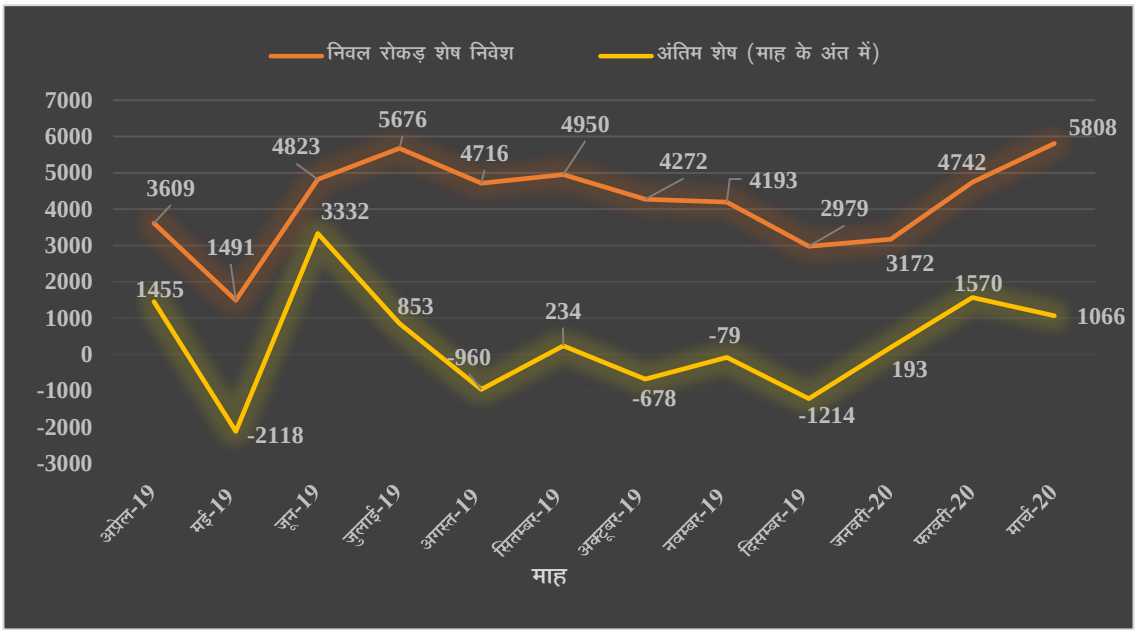

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के लिए प्रमुख मापदंड हैं।

प्रमुख मापदंड

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिन्हें ध्यान में रखा जाना है
अर्थ-सहाय्य व्यय में कमी	कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत कम होना
सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अधिक व्यय	जीएसडीपी से ऋण अनुपात में वृद्धि होना
	राजस्व/राजकोषीय/प्राथमिक घाटा
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि होना
	कंपनियों और निगमों को ऋण या निवेश, जो हानि में चल रही है या जिनकी निवल पूंजी पूरी तरह अपक्षरित हो गई है
	राजस्व घाटे में वृद्धि होना
	आरक्षित निधियों में कम अंशदान

राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले संकेतकों के बारे में प्रयास करने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।